बिहार समाचार

वर्ष : 57, अंक : 6, जून, 2008

संरक्षक

राम नाथ ठाकुर

प्रधान संपादक

राजेश भूषण

प्रकाशक

निदेशक

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

संपादकीय सलाहाकार

डा० रामनिवास पाण्डेय

संपादक

डा० रामबदन बरुआ

संपादकीय संपर्क

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

सूचना भवन, बेली रोड

पटना-800001

फोन : 2224278, 2237835

ई-मेल : prdpatna@prdbihar.org

वेबसाइट : www.prdbihar.org

अपनी बात 2

बिहार में ग्रामीण विकास : एक विहंगम दृष्टि 3

ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाएँ 8

बिहार में ग्रामीण विकास और नाबार्ड 14

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका 16

पंचायती राज और बिहार में विकास 18

बिहार में गरीबी निवारण कार्यक्रम 21

उग्रवाद से विकास की हरियाली की ओर 27

अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा की पहल 28

4225 क्विंटल 'आधार बीज' 80 हजार किसानों को 29

नरेगा से जल प्रबंधन योजनाओं पर 870 करोड़ व्यय की योजना 30

पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण बिहार की दास्तान 31

जिले की चिठ्ठी 34

मंत्रिमंडल के निर्णय 35

तिथिवार बिहार 36

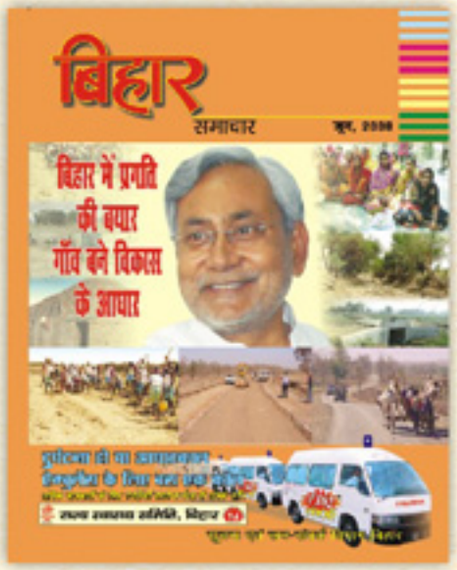

बिहार के गांवों में परिवर्तन की हवा चल रही है। इस परिवर्तन को आप चारों ओर देख सकते हैं। कहीं सड़क, पुल, पुलिया इत्यादि बन रहे हैं तो कहीं ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों की संख्या और उपस्थिति में वृद्धि हो रही है। कहीं पंचायतों में ई-कियोस्क स्थापित हो रहे हैं तो कहीं पंचायती राज संस्थाओं में महिला, अति पिछड़ा और दलित प्रतिनिधि ग्रामीण विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दे रहे हैं। कहीं ग्राम कचहरियों में न्याय-मित्रों की नियुक्ति की जा रही है तो कहीं ग्रामीण मरीज अस्पतालों में दवाओं और जाँच सुविधाओं की उपलब्धता का लाभ उठा रहे हैं। बिहार के गांवों में अब आप विकास कार्यों की चहल-पहल को अपनी आँखों से देख सकते हैं। सभी के चेहरों पर इस आशा और विश्वास की चमक है कि गाँव-देहात के पिछड़े इलाके अब विकास की मुख्य धारा से शीघ्र ही जुड़ जायेंगे। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सूबे के नव-निर्माण के प्रति गंभीर है। 'बिहार समाचार' के इस अंक में हमने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की एक तसवीर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

बिहार के सभी 38 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू है जिसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए सुनिश्चित मजदूरी, नियोजन तथा लाभप्रद जीविका उपलब्ध कराई जा रही है। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं, जिनके माध्यम से स्वरोजगारियों को बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गाँवों में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा बी.पी.एल. सर्वेक्षित परिवारों को सभी आवश्यक सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इन्दिरा आवास योजना और उन्नयन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तेज रफ्तार से पक्के मकानों का निर्माण और उन्नयन जारी है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में इन्दिरा आवास 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत भी बनाये जा रहे हैं। विगत वर्ष की भीषण बाढ़ से पूर्णत: ध्वस्त मकानों का निर्माण 'मुख्यमंत्री आवास योजना' अन्तर्गत किया जा रहा है।

सरकार ने वर्ष 2008 को 'कृषि वर्ष' घोषित किया है। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग मिलकर ऐसी अनेक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर भूमि और जल प्रबंधन हो सके और कृषि के क्षेत्र में सुधार और उन्नयन हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पित है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण पथों का निर्माण, पुल, पुलियों का निर्माण किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सदस्यों और मुखियाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। चौथा राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है। पंचायतों की सभी कोटि के पदों पर महिलाओं और अति पिछड़ों के लिए क्रमश: 50 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण कर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास की गाड़ी ने अब सही रास्ता पकड़ लिया है। हम सबके सम्मिलित प्रयास से यह गाड़ी अधिक तीव्र गति से अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ेगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

राजेश भूषण
सचिव
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना ।

बिहार में ग्रामीण विकास : एक विहंगम दृष्टि

अनूप मुखर्जी

बिहार के गाँव भी शहर की तरह गतिविधियों से गुंजायमान हो रहे हैं। यहां की सड़कें, पुल-पुलिया, विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था, स्कूलों में बच्चों की बढ़ती उपस्थिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों की भारी भीड़, ग्रामीण घरों में शौचालय आदि- ये सभी ग्रामीण बिहार के पुनरुत्थान के संकेत हैं। यह सही है कि यहाँ विशेषकर मुसहर जैसी अति गरीब जातियों में घोर गरीबी, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कुछ जगहों में अत्याचार अभी भी मौजूद हैं, और कुछ हद तक हम अर्ध-सामन्ती बने हुये हैं, पर आशावाद की बयार निःसंदेह बह रही है। हर तरफ सुधार हो रहा है और सतत् प्रयास से सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास लाया जा सकता है।

सर्वप्रथम तथ्यों पर नजर डालें। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य बिहार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी को दूर करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से। बिहार की 90% आबादी गाँवों में रहती है और 2004-05 एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण का अनुमान है कि ग्रामीण जनसंख्या का 42.1% गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे जीवन यापन करता है। यह 3.66 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या या 80-90 लाख परिवारों के समतुल्य है। यह संख्या भारत के ग्रामीण आबादी का 10% या भारत के ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों के 15% से अधिक है। 2001 में बिहार में 42.1 लाख परिवार बगैर आवास के थे। उस समय से अब तक 16 लाख आवासों का निर्माण इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। अब कुल 26 लाख परिवार बगैर आवास के बचे हैं जिनमें से अधिकांश अलग घर नहीं होने के कारण एक साथ रहने को विवश हैं। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार से प्रवासन दर भी सबसे अधिक है- प्रति 100 व्यक्तियों में 0.39 पुरुष और 0.17 महिलाएँ। इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है जहां प्रवासन 100 में 0.10 पुरुष तथा 0.04 महिला है।

सपना : बिहार का सपना 2015 तक विकसित राज्य बनने का है। इसके लिए गरीबी में तीव्र कमी लाने की जरूरत है। पहला मिलेनियम विकास लक्ष्य, जो गरीबी से संबंधित है, 1990 और 2015 के बीच वैसे लोगों, जिनकी आमदनी प्रतिदिन 1 डॉलर से भी कम है, का अनुपात और भूख से पीड़ित लोगों के अनुपात

को आधा करना है। बिहार के लिए इसका अर्थ है 2000 में 44% से 2015 तक 22% या प्रति वर्ष लगभग 1.5% बी.पी.एल. जनसंख्या के प्रतिशत में कमी। इसका अर्थ है-2015 तक लगभग 50 लाख ग्रामीण परिवारों को या दूसरे शब्दों में, 11वीं योजना में लगभग 16.7 लाख परिवारों को या प्रति वर्ष 3.3 लाख ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना। जी.डी.पी. के विकास और बी.पी.एल. प्रतिशत में गिरावट के मध्य 0.4 की मूल्य-सापेक्षता के अनुमान पर ग्रामीण बी.पी.एल. जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.5% की कमी के लक्ष्य के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4% जी.डी.पी. विकास की जरूरत है।

कृषि में विकास दर इससे कहीं नीचे है। अत: विज्ञान, गैर-रासायनिक कीटनाशक प्रबन्धन तरीकों, जिनमें अधिकांश श्रम-साधन हैं, की तरह नवीनतम लाभकारी तकनीकों का प्रयोग करते हुए बागवानी सहित कृषि उत्पादकता में त्वरित वृद्धि हेतु योजनाओं के साथ-साथ तीव्रतर गैर-कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से अपनाना होगा।

इसके लिए भी एकीकृत योजना की आवश्यकता है जिसके दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, कल्याण और श्रम क्षेत्रों के द्वारा मानव संसाधन विकास और उद्योग, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ऊर्जा, यातायात और संचार के द्वारा आर्थिक विकास आता है जिसे गरीबों खास कर महिलाओं के लिए लक्षित कार्यक्रमों के द्वारा पूरा किया जाता है। इन विषयों से निबटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को बृहतर शक्तियाँ दी जा रही हैं, जो प्रशासन सुधार की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाएंगी। 38 जिला परिषदों, 534 पंचायत समितियों और 8463 ग्राम पंचायतों के लिए त्वरित संचार और पारदर्शिता आवश्यक है ताकि ये पंचायत संस्थाएँ प्रभावी हो सकें। संयोग से आज विश्व में ब्रॉडबैंड-इन्टरनेट तकनीक के द्वारा इसका समाधान उपलब्ध है।

बिहार के विशाल युवा मानव संसाधन की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में जबरदस्त प्रयास की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी उपयोगी, लाभप्रद व्यवसायों को अपना सके। महिलाएँ परिवार में विकास की वाहक होती हैं। अत: हमारी सभी विकास योजनाओं में उनका सशक्तीकरण एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। पर शिक्षा और कौशल विकास का लाभ सामान्यत: 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को मिलेगा, यानी अगली पीढ़ी को। 20 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भूख और गरीबी का सामना प्रत्यक्ष उपायों के द्वारा करना होगा। इससे महिला सशक्तीकरण पर बल देते हुए उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी आदि

मुहैय्या कराये जा सकें और अब उन्हें ब्रॉडबैंड की भी सुविधा मिल सके।

इसे ग्रामीण गरीबों के लिए सुनिश्चित मजदूरी नियोजन, स्व-रोजगार द्वारा लाभप्रद जीविका और आवास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पुन: भूमि और जल विकास कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं और ग्रामीण गरीबों की दशा में सुधार ला सकते हैं। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस. वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और हरियाली अब एकीकृत वाटरशेड (जलसंभर) विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित हैं। केन्द्र सम्पोषित ये कार्यक्रम, जिन्हें केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता मिलती है, भूख और अभिवंचन से लड़ने हेतु एक कार्यक्षेत्र के रूप में जारी रहेंगे। पर एक क्षेत्र जिस पर बल बराबर दिया गया पर उचित रूप से जिसका अनुपालन नहीं हुआ है, वह है ग्रामीण विकास। यह कष्टप्रद प्रक्रिया उन्मुख पद्धति है न कि लक्ष्य अभिप्रेरित पद्धति। अत: इन कार्यक्रमों और दिशा-निर्देशों को प्रक्रिया और नतीजा उन्मुख और महिला सशक्तीकरण पर बल देते हुए संशोधित करना चाहिए। नि:संदेह अगर इन लाभों का संचरण करना है तब व्यापक भोजन प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

नवम्बर 2000 में झारखण्ड के निर्माण के बाद बिहार में बचा ही क्या? थोड़ा वन और न के बराबर खनिज संपदा। पर हमारे पास विशाल ऊपजाऊ भूमि है, जल और एक बड़ी, पर साधारण रूप से शिक्षित जनसंख्या है। हमारी विकास योजना इन्हीं संसाधनों पर आधारित है।

सरकार ने वर्ष 2008 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ग्रामीण विकास विभाग जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभागों से समन्वय कर भूमि और जल प्रबन्धन योजनाओं के द्वारा लाभदायक कृषि से संबंधित संरचना में सुधार करने के लिए एन.आर.ई.जी.एस. के अधिकतम व्यवहार पर बल दे रहा है। पूर्व में चूँकि एन.आर.ई.जी.एस. द्वारा 38 जिलों में से सिर्फ 23 को ही कवर करने की अधिसूचना जारी की गई थी, बिहार सरकार ने बचे 15 जिलों को राज्य आर.ई.जी.एस. नामक समरूप योजना के अन्तर्गत कवर किया था। अब यह राज्य के सभी 38 जिलों में लागू है। बड़ी संख्या में कच्ची सड़कों पर काम हो रहा है ताकि गाँवों के बीच संपर्क में सुधार हो सके। साथ ही, 500 से 999 के बीच की जनसंख्या वाली जगहों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और 1000 से अधिक जनसंख्या वाली जगहों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अन्य योजनाएँ पक्की सड़क, पुल और पुलियों का निर्माण करा रही हैं, इससे ग्रामीण उत्पादों की बाजार में पहुँच बढ़ेगी। जल संसाधन विभाग के समन्वय से बाढ़ बचाव योजनाएँ पूरी की जा रही हैं। विशेषकर एन.आर.ई.जी.एस. के लिए लगभग ग्यारह हजार पाँच सौ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा उन्हें सघन प्रशिक्षण दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये सभी और अन्य कदम कार्यान्वयन की गुणवत्ता और गति में सुधार लाएंगे। मजदूरी नियोजन योजनाओं में दो महत्वपूर्ण नियंत्रण-बिन्दु हैं। श्रमिकों की उपस्थिति या 'मस्टर रौल' (उपस्थिति नामावली) यह सुनिश्चित करने हेतु एक प्रक्रिया कि जिन व्यक्तियों ने वास्तव में कार्य किया है उन्हें पूरी मजदूरी मिल सके। इन उद्देश्यों के साथ एक महत्वाकांक्षी परियोजना

'ई-मस्टर'' शुरू की गई है। श्रमिक स्मार्ट-कार्ड' का प्रयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज और भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसे वर्ष भर के आरम्भिक परियोजना के रूप में पटना जिले में शुरू किया जा रहा है। इस आरम्भिक परियोजना के ज्ञान के आधार पर अगले चार वर्षों में इसे पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। इसी बीच एन.आर.ई.जी.एस. स्थलों पर कार्य करने वालों के लिए बैंक और डाकघर खाता खोला जा रहा है तथा मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से इन्हीं खातों में किया जाएगा।

कृषि पर दिए गए बल से जुड़े पशुपालन और मत्स्य पालन पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। भारतीय ऐग्रो-इंडस्ट्री फाउंडेशन (बी.ए.आई.एफ.) और जे.के. ट्रस्ट जैसे प्रसिद्ध अखिल भारतीय और लाभकारी ट्रस्टों ने 24 जिलों में मवेशी विकास परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इस मॉडल की विस्तृत जानकारी आवश्यक है। इसके अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों के युवाओं का चयन किया जाता है तथा उन्हें कृत्रिम गर्भाधान और प्राथमिक पशुधन सुरक्षा में 5 महीनों का सघन प्रशिक्षण दिया जाता है, और पंचायत समूहों में उन्हें 'गोपाल' के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले जमे हुए शुक्राणु दिए जाते हैं तथा योग्य पशु चिकित्सकों के संरक्षण में रखा जाता है। बी.पी.एल. और गैर-बी.पी.एल. परिवारों से वे क्रमश: 10 और 20 रुपये चार्ज करते हैं, उनके पास मोटर साइकिल और मोबाइल फोन रहते हैं ताकि किसानों के बुलावे पर वे तुरन्त उनके पास पहुँच सकें। 3 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष के अन्त तक गोपाल आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर सेवा-प्रदान करने वाले उद्यमी बन जाते हैं। तत्पश्चात् ट्रस्ट अपना सहयोग दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित करता है। इस पी.पी.पी. मॉडल के अत्यधिक सफल होने की संभावना है, और यह उम्मीद आरंभिक फील्ड रिपोर्ट पर आधारित है।

निरक्षर या अर्ध-साक्षर युवाओं के लिए इसी प्रकार का एक अन्य प्रस्ताव अपनाया जा रहा है। निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी.आई.डी.सी.) और लार्सेन और टूब्रो द्वारा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं का चयन और प्रशिक्षण निर्माण उद्योग व्यापार के लिए हो रहा है, जिसकी बाजार में मांग है, तथा उनका परीक्षण प्रमाणीकरण हो रहा है तथा नियोजन में सहायता दी जा रही है।

इंदिरा आवास योजना भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। संस्थागत सुधारों के जरिये भ्रष्टाचार को काफी कम किया गया है, जिससे स्वचलन और पारदर्शिता बढ़ती है और स्वविवेक और अधिकारियों से संपर्क कम होता है। 2003 में किए गए ग्रामीण परिवार सर्वेक्षण को पहली बार एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार 2006 में बृहतर स्तर पर प्रकाशित और संशोधित किया गया। इसे पुन: 2007 में सघन स्तर पर संशोधित किया गया। इस सूची का इस्तेमाल गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) के नीचे उन परिवारों की पहचान करने के लिए किया गया है जिन्हें शीर्ष पर सबसे गरीब और तल पर सम्पन्न लोगों के समकक्ष रखा गया था। इ.आ.यो. (आई.ए.वाई.) ग्राहियों का चयन बी.पी.एल. सूची से उनकी क्रम संख्या के आधार पर किया जाता है। इन बी.पी.एल. परिवारों की महिला सदस्य को या संयुक्त रूप से दम्पति को, इस जांच के बाद कि उनके पास पक्का घर नहीं है, 35,000 रु0 दिया जाता है। पहले 25,000 रु० की वित्तीय सहायता दी जाती है। राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में 24,000 रुपये और स्वत: दो महीने बाद शेष 11,000 रु0 की किस्तें जमा कर दी जाती

हैं। ग्राम पंचायत के सभी ग्राहियों के लिए समेकित चेक को ग्राहियों के खातों में सीधे राशि जमा करने के एडवायस स्लिप के साथ बैंक में भेज दिया जाता है। लाभार्थियों को स्वयंसेवी समूहों में संगठित किया जा रहा है ताकि न सिर्फ अपने आवास निर्माण में, बल्कि मकान निर्माण पूरा करने में सहयोगियों पर दबाव बनाने में वे आपसी सहयोग कर सके।

इसी प्रकार एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष के बदले स्वयंसेवी समूहों (एस.एच.जी.) को वित्तीय सहायता देने पर महत्व दिया गया है। 2008-09 से अशक्त व्यक्तियों को छोड़कर जिनके लिए एस.जी.एच. का निर्माण करना कठिन है, वैयक्तिक वित्तीय सहायता पर रोक लगायी जा रही है। प्रखण्डों में सही एन.जी.ओ. की पर्याप्त संख्या न होने की वजह से इस कार्यक्रम में अड़चनें आयी हैं। ग्रामीण शाखाओं में बैंक कर्मियों को भी इस दिशा में उचित ढंग से अभिमुख करना होगा। आंध्रप्रदेश, जहाँ एस.एच.जी. आंदोलन काफी मजबूत है, से एस.एच.जी. की बी.पी.एल. महिला नेताओं की सहायता लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

पुन: पी.पी.पी. के मॉडल पर प्रखण्ड सूचना केन्द्र एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रखण्ड और पंचायत कार्यालयों को अधिक दक्ष, प्रभावपूर्ण और पारदर्शी ढंग से कार्य करने में सामान्य सेवा केन्द्र इंटरनेट की 'वसुधा' की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले समय में इससे निश्चित रूप से मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में पंचायती राज संस्थाओं अभिवंचित वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण, सामाजिक, आर्थिक रूप से सबसे नीचे के पायदान पर रहने वाले 'महादलितों' के विकास के लिए एक मिशन, तथा अभिवंचित वर्गों के अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष उपाय आदि शामिल हैं। इनसे इन वर्गों का सशक्तीकरण और समावेश सुनिश्चित होगा। 'परिवार सर्वेक्षण' के आधार पर राशन कूपन, केरोसिन तेल कूपन और नये राशन कार्ड के द्वारा अभिलक्षित जन वितरण प्रणाली पर नये ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। इससे अत्यंत गरीबों की भोजन सुरक्षा बढ़ेगी।

विकास की गति अब कार्य में दफ्तरशाही द्वारा सीखने की अनुमति नहीं देती है पर नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रणाली नहीं है। विकास की कोई भी योजना स्पष्टत: नाजुक रूप से क्रियान्वयन तंत्र पर निर्भर करती है। इसके लिए क्षेत्र-प्रशासन की सुपुर्दगी डिलिवरी क्षमताओं में सरकारी कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य सभी संबंधित लोगों की क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण सहित विभिन्न उपायों द्वारा आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके लिए ग्रामीण विकास के लिए एक पृथक संस्थान की स्थापना पर ज्ञान, दक्षता और मनोवृत्ति तथा किस तरह लोगों के जुड़ाव को सुनिश्चित किया जाए, साझेदारी ग्रामीण मूल्यांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, लेखा, तकनीकी मामले, सूचना तकनीक और परियोजना प्रबंधन, दूसरे राज्यों की जानकारी और बेहतर प्रक्रिया आदि आवश्यक रूप से शामिल होने चाहिए। प्रक्रिया और नतीजा अभिमुखता पर विशेष बल देना चाहिए। प्रक्रियाओं को सरल, न्यायसंगत अधिक तार्किक और पारदर्शी बनाने के लिए उनकी रूपरेखा फिर से निर्धारित करनी होगी। इस तरह की परियोजना में विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहा है।

उचित ग्रामीण तकनीक एक दूसरा आवश्यक निवेश है जो ग्रामीण कारीगरों को मध्यस्थ सीढ़ियों को लांघने में, कम जोखिम वाले नये उत्पादों और बढ़ी हुई उत्पादकता वाले व्यवसायों को अपनाने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

भविष्य में ग्रामीण विकास का परिदृश्य प्रस्ताव उज्ज्वल है। बेहतर प्रशासन के लिए इस वर्तमान अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार तीव्र और सतत् विकास के पथ पर बिना मुड़े अग्रसर है। ❑

(लेखक ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव हैं।)

ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाएँ

एच०सी० सिरोही

ग्रामीण कार्य विभाग राज्य सरकार का न अंग है। किसी भी राज्य की समृद्धि एवं विकास उस राज्य के गांवों की समृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। गांवों की समृद्धि एवं विकास के लिए यह विभाग राज्य के सभी अनजुड़े गाँवों/टोलों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु नये पथों के निर्माण एवं पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में विभाग द्वारा राज्य प्रायोजित योजनाओं यथा: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपकी सरकार आपके द्वार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आर०आई०डी०एफ० (नाबार्ड) ऋण योजना, अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजनाएँ, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

गत वर्ष 2007-08 में लगभग 1515.7 कि०मी० लंबाई के पथों का निर्माण कार्य एवं 1925 कि०मी० लम्बाई में पथों की मरम्मती कार्य पूरा किया जा चुका है।

योजना शीर्ष-4515 एवं गैर-योजना शीर्ष-3054 के अन्तर्गत विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित कार्य कराये जाते हैं:-

(क) योजना शीर्ष-4515

1. नये पथ/ पुल
2. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन।

वर्ष 2007-08 की वित्तीय उपलब्धियां

शीर्ष	लक्ष्य (करोड़ में)	उपलब्धि (करोड़ में)
1. योजना नयी सड़कें और पुल	256.45	190.02
2. नाबार्ड	209.79	171.26
3. एम०एम०जी०एस०वाई०	566.12	566.12
4. बी०ए०डी०पी०	7.00	5.71
5. एस०सी०पी०	15.90	13.77
6. ए०एस०ए०डी०	100.00	88.01
कुल	**1155.26**	**1034.89**

वर्ष 2007-08 की वित्तीय लक्ष्य

शीर्ष	वित्तीय (करोड़ में)
1. योजना नयी सड़कें और पुल	153.38
2. नाबार्ड	240.00
3. एम०एम०जी०एस०वाई०	403.02
4. बी०ए०डी०पी०	5.00
5. एस०सी०पी०	10.00
6. ए०एस०ए०डी०	0.00
कुल	**811.40** (करोड़ में)

3. आपकी सरकार आपके द्वार ।

4. विभागीय सड़कों एवं पुलों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण।

5. नाबार्ड ऋण द्वारा वित्त सम्पोषित योजनाओं का कार्यान्वयन।

6. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन।

7. अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन।

8. विधानमंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास शीर्ष योजनाओं का कार्यान्वयन।

9. महादलितों के टोलों के लिए सम्पर्क पथ।

(ख) गैर-योजना क्षेत्र शीर्ष-3054 के अन्तर्गत विभाग की विभिन्न योजनाएँ:-

1. ग्रामीण सड़कों की मरम्मती एवं रख-रखाव।

2. स्थापना संबंधी व्यय।

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ:-

योजना शीर्ष-4515 एवं गैर-योजना शीर्ष-3054 के अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरणों के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी को सीधे शत-प्रतिशत राशि प्राप्त होती है। इस योजना में 1000+ आबादी वाले गाँवों/टोलों को जोड़ने का प्रावधान है।

नये पथ/पुल

- 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के तहत् उपलब्ध राशि एवं नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर उपलब्ध संसाधन द्वारा विभाग के पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नयी पथ इकाई में 225.58 करोड़ रुपये, एवं नये पुल/पुलियों के निर्माण के लिए 30.87 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध था।
- इन योजनाओं के अन्तर्गत

मार्च, 2008 तक कुल 179.10 करोड़ व्यय करते हुए 612.77 कि0मी0 सब-बेस, 643.65 कि0मी0 बेस कार्य, 576.54 कि0मी0 कालीकरण कार्य किया जा चुका है एवं नये पुल में 12.32 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में नयी पथ इकाई में 141.38 करोड़ रुपये, एवं नये पुल/पुलियों के निर्माण के लिए 12.00 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

नाबार्ड योजना

• ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष (आर०आई०डी०एफ०) के अन्तर्गत नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा सरकार को उपलब्ध कराई जानेवाली ऋण कोष के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के पथों / पुलों के निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की योजनाएँ ली जाती हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के सम्पर्क में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योगोन्मुखी करना, कृषि उत्पादों का बेहतर उत्पादन एवं उनका उचित मूल्य प्राप्त करना है।

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में 209.79 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध था।

• इन योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 2008 तक कुल 171.26 करोड़ व्यय करते हुए 620.41 कि0मी0 सब-बेस, 652.8 कि0मी0 बेस कार्य, 422.78 कि0मी0 कालीकरण कार्य किया जा चुका है ।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में 240.00 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

• सी०एम०जी०एस०वाई० को भारत निर्माण में 1000+ आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़क सम्पर्क प्रदान करने में उपलब्ध कराये जा रहे संसाधनों की मदद से काफी समय लगेगा। सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराये बिना इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अत: छोटे-छोटे ग्रामों/टोलों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा राज्य में आधारभूत संरचना के त्वरित विकास हेतु 500 से 999 तक जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के आधार पर) सभी ग्रामों/टोलों को भी शीघ्र बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्राप्त कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (सी०एम०जी०एस०वाई०) प्रारम्भ की गयी है।

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में 573.63 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध था।

• इन योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 2008 तक कुल 566.12 करोड़ व्यय करते हुए 1477.1141 कि0मी0 सब-बेस, 1235.74 कि0मी0 बेस कार्य, 473.38 कि0मी0 कालीकरण कार्य किया जा चुका है ।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में 403.02 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना

• इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति/ जन-जाति बहुल क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले वैसे पथ जो बारहमासी उपयोग के लायक नहीं हैं, और जिन्हें किसी अन्य योजना में शामिल नहीं किया गया है, को इस योजना में शामिल किया जाना है।

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में 15.90 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध था।

• इन योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 2008 तक कुल 13.78 करोड़ व्यय करते हुए 41.55 कि0मी0 सब-बेस, 38.05 कि0मी0 बेस कार्य, 24.25 कि0मी0 कालीकरण कार्य किया जा चुका है ।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में 10.00 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

सीमा क्षेत्र विकास योजना

• सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन सीमावर्ती जिलों यथा: पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी आदि जिलान्तर्गत पड़ने वाले गांवों को बारहमासी उपयोग के लायक पक्की सड़क से सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में 7.00 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध था।

• इन योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 2008 तक कुल 5.71 करोड़ व्यय करते हुए 7.88 कि0मी0 सब-बेस, 9.88 कि0मी0 बेस कार्य, 14.00 कि0मी0 कालीकरण कार्य किया जा चुका है ।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में 5.00 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

चीनी मिल क्षेत्र

• योजना शीर्ष 4515 के विभिन्न योजना मद में चीनी मिल क्षेत्र के अन्तर्गत 100.00 कि0मी0 पथों का निर्माण कराया जा रहा है।

ग्रामीण सड़कों/पुलों के रख- रखाव एवं मरम्मती हेतु गैर योजना मद के अन्तर्गत कार्य

• इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों/पुलों का रख-रखाव एवं मरम्मत किया जाता है। सड़कों/पुलों के निर्माण के बाद उनका उचित रख-रखाव एवं मरम्मत से ग्रामीण सड़कों से लम्बे समय तक सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में शीर्ष 3054 ग्रामीण सड़कों/पुलों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु गैर योजना मद के अन्तर्गत कुल 150 करोड़ रुपये की लागत से 500 पुल/पुलियों एवं 2415 कि0मी0 पथ संधारण करने का लक्ष्य था। मार्च, 2008 तक 123.56 करोड़ की लागत से 291 पुल/पुलियों तथा 1925 कि0मी0 पथ का संधारण किया जा चुका है।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में 210.00 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

• उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से अनजुड़े वैसे ग्रामों या टोलों, जिनकी जनसंख्या 1000 या इससे अधिक हैं, को वर्ष 2008-09 तक बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से जोड़ना।

• इस योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर कुल 452.88 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2200 कि0मी0 लम्बाई के कुल 969 पथों पर कार्य प्रारंभ कराया गया था।

• विभाग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत 31 मार्च, 2008 तक कुल 362.52 करोड़ व्यय करते हुए 749 पथों,

जिनकी कुल लम्बाई 1723.59 कि0मी0 है, का कार्य पूरा करा लिया गया है। दिसम्बर, 2005 से मार्च 2008 तक 64.47 करोड़ व्यय करते हुए 286 पथों, जिनकी कुल लम्बाई 565.69 कि0मी0 है, का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष पथों का कार्य, कार्य योजना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- तृतीय एवं आगे के चरणों का कार्य नामित 5 केन्द्रीय एजेंसियों एन०बी०सी०सी०, एन०पी०सी०सी०, एन० एच०पी०सी०, सी०पी०डब्लू०डी०, आई०आर० सी०ओ०एन० के माध्यम से कराया जा रहा है।
- केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा 31 मार्च, 2008 तक कुल 1138.41 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 292 पथों, जिनकी लम्बाई 2370.17 कि0मी0 है, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- प्रथम एवं द्वितीय चरण के स्वीकृत अधिकांश पथ सीमित राशि के कारण पूरी लम्बाई में नहीं लिया जा सका था। पूरा सम्पर्क प्रदान करने हेतु मिसिंग लिंकस के 162 पथों, जिनकी लम्बाई 620.169 कि0मी0 है तथा प्राक्कलित राशि 267.659 करोड़ रुपये, के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

- केन्द्रीय एजेन्सियों की धीमी प्रगति को देखते हुए आगे का कार्य विभाग के माध्यम से ही कराने का निर्णय लिया गया है।
- केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही योजनाओं का राज्य स्तरीय अनुश्रवण की व्यवस्था की जा रही है ताकि योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ससमय कार्य पूरा किया जा सके।
- भारत निर्माण योजना अन्तर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गाँवों/बसावटों को बारहमासी सड़क से 2009 तक सम्पर्क प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा पर्यवेक्षण परामर्शी की नियुक्ति की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने हेतु नामांकन के आधार पर आई०एल० एण्ड एफ०एस० इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई०आई०डी०सी० की सेवा प्राप्त करने हेतु समझौता किया गया है। अभी तक इनके द्वारा प्रथम चरण में 11702.23 कि0मी0 की इन्सेप्सन रिपोर्ट तथा 3212.848 कि0मी0 का डी0पी0आर0 का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण में 8109.89 के विरुद्ध 5290.318 कि0मी0 की इन्सेप्सन रिपोर्ट समर्पित की गयी है।
- भारत निर्माण योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2008-09 में 9185 कि0मी0 ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है, तथा इस पर कुल 7615 करोड़ रुपया खर्च अनुमानित है।
- विश्व बैंक योजनान्तर्गत ग्रामीण पथों का निर्माण एवं उन्नयन हेतु दो चरणों में 900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चयनित 12 जिलों में लगभग 2250 कि0मी0 की लम्बाई में पथ निर्माण का लक्ष्य है।
- प्रथम चरण में परामर्शियों के द्वारा 950 कि0मी0 की लम्बाई में पथों का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है जिसे अग्रेतर स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत

सरकार को भेजा जा चुका है। द्वितीय चरण में 2500कि0मी0 की लम्बाई में परामर्शियों द्वारा डी0पी0आर0 का निर्माण प्रगति में है।

• इसके प्रथम चरण के लिए समर्पित डी0पी0आर0 के विरुद्ध इम्पावर्ड कमिटी द्वारा 605.8 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 256.63 करोड़ रुपये है।

• इसके अतिरिक्त एन0आर0आर0 डी0ए0/विश्व बैंक के सहयोग से विभिन्न कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय पदाधिकारियों की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।

'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम का एक अहम आयाम उग्रवाद प्रभावित पंचायतों/क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क सम्पर्क प्रदान करना एवं पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना है। सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये कटिबद्ध है। इस कार्यक्रम के तहत 7 जिलों गया, रोहतास, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुंगेर तथा पटना के 24 प्रखंडों में 67 पंचायतों का चयन किया गया है जिनमें 239.21 करोड़ रुपये की लागत से 557.04 कि0मी0 पथ एवं 67 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है।

• वित्तीय वर्ष 2007 - 08 में 100.00 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध था।

• इन योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 2008 तक कुल 88.01 करोड़ व्यय किया जा चुका है ।

विधायक/पार्षद योजना

• इस योजना के अन्तर्गत विधायक/पार्षद की अनुशंसा पर योजनाओं का चयन किया जाता है। एस०पी०एल०ए०डी० एस० के सदृश है।

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में 335.00 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान था तथा इस वित्तीय वर्ष 2008-09 में 335.00 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है।

प्रशिक्षण एवं सेमिनार

• वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रशिक्षण एवं सेमिनार कार्यक्रमों के अंतर्गत योजना मद की 10 लाख रुपये की राशि के तहत विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंताओं, कुल 228 पदाधिकारियों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स (एन०आई०टी०एच० ई०) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 में भी अभियन्ताओं के साथ संवेदकों को भी प्रशिक्षण देने की योजना है।

नई पहल

वर्तमान में विभाग को 24000 कि0मी0 सड़क बनाना है जिसकी प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा कई नई पहल की गई, जो निम्नवत् हैं :-

• बी0आर0आर0डी0ए0 के सुदृढ़ीकरण हेतु 72 अतिरिक्त पी0आई0यू0 की स्थापना एवं भारत निर्माण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डेडिकैटेड पी0आई0यू0 की स्थापना की गई है।

• वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण हेतु लेखा पदाधिकारी/लिपिकों की पदस्थापना की गई है।

• आई०एल० एण्ड एफ०एस० प्रक्रिया प्रबंधन, डी0पी0आर0 तैयारी हेतु आउटसोर्स किया गया है।

• सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलों में गुण नियंत्रण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण 39 (38 जिला+1मुख्यालय) स्थानों पर स्वतंत्र गुण नियंत्रण इकाई की व्यवस्था की गई है।

• अभियंताओं की क्षमता को प्रबल करने हेतु समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिया जाता है।

• संवेदकों के निबंधन की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

• छूटे हुए बसावटों को चिन्हित करने हेतु बसावटों/टोलों के आधार पर कोर-नेटवर्क का संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

• तृतीय पार्टी गुण नियंत्रण व्यवस्था प्रक्रिया में है।

• निर्माण कार्य पर्यवेक्षण हेतु वाह्य एजेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया में है।

• ग्रामीण पथों के अनुरक्षण हेतु विभाग द्वारा रूरल रोड मेन्टेनेन्स पॉलसी एवं रूरल रोड मेन्टेनेन्स मेनुअल प्रक्रिया में है।

• ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में है।

• पथ सुरक्षा एवं सामाजिक निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु विभाग द्वारा बनाये जा रहे पथों में 'पथ सुरक्षा समितियों' का गठन किया जा रहा है।

• 'महादलित बस्तियों को पक्के सम्पर्क पथ उपलब्ध कराने की योजना' विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर लागू कर जून के मध्य में ही कार्य समाप्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इस मद में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

अत: ग्रामीण सड़कों के सम्पर्क में सुधार करने, ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योगोन्मुखी करने, कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने एवं इनका उचित मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के सभी जिलों की ग्राम सम्पर्कता सुधार अन्तर्गत बृहत पैमाने पर ग्रामीण पथों का उन्नयन/निर्माण/सुदृढ़ीकरण विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित कर ससमय कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि ये सभी पथ ग्रामीणों के लिए जीवन-रेखा सिद्ध हो । ❑

(लेखक ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव हैं।)

बिहार में ग्रामीण विकास और नाबार्ड

डॉ० संदीप घोष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे 'नाबार्ड' के नाम से जाना जाता है, को संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत 1982 में स्थापित किया गया था। इस तरह यह 25 वर्षों से अधिक पुरानी संस्था है। अपनी स्थापना से ही नाबार्ड बिहार राज्य (अविभाजित) में कार्य कर रहा है तथा वर्तमान में बिहार के साथ-साथ झारखंड में भी इसके कार्यालय मौजूद हैं। अध्यादेश के अनुसार यह संस्था सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर-सरकारी और सभी प्रकार के बैंक संस्थानों के सहयोग से राज्य में ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। किसी संस्थान के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने या किसी संस्थान का पूरक बनने में नाबार्ड की भूमिका नहीं है, बल्कि राज्य में कार्यरत विभिन्न संस्थानों के द्वारा वांछित विकास हो सके, इसके लिए सहायता देने में है। समय की मांग बृहत है और हम जानते हैं कि आवश्यकता की तुलना में उपलब्धि बहुत कम है, पर हम ईमानदार हैं और समय के साथ हममें सुधार जारी रहेगा। इस लेख में हम राज्य में की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

वित्तीय समावेश : आजादी के 60 साल बाद भी ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं हैं। बैंक खाते के अभाव में विशेष रूप से गरीबों, जिसके पास बहुत छोटी बचत होती है, को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दैनिक वेतनभोगी परिवारों की स्थिति की कल्पना करें। बाढ़ की स्थिति में वे कैसे कष्ट से अर्जित अपने लघु-बचत को सुरक्षित परिरक्षा (कस्टडी) में रखेंगे? भारत सरकार इस मामले में चिंतित है और कालबद्ध तरीके से बैंक सुविधा रहित सभी परिवारों के खाते खोलने का उसने कार्य किया है। समावेश की प्रक्रिया में तेजी लाने और वित्तीय साक्षरता लाने हेतु नाबार्ड ने स्वावलम्बी समूहों और कृषक क्लबों के प्रोत्साहन पर बल दिया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कृषक-क्लब वैसे किसानों के समूह होते हैं जो किसी बैंक शाखा से संबद्ध होते हैं तथा बैंकिंग संस्थानों, शोध संस्थाओं (जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र) और विभिन्न विकास संस्थानों के बीच सेतु के रूप में ग्रामीण समाज को मदद पहुँचाते हैं। नाबार्ड इन संस्थानों को जिले में कार्यरत अपने अधिकारियों के जरिये अभिप्रेरणात्मक सहयोग प्रदान करता है। अभी तक नाबार्ड राज्य में इस तरह के 1446 क्लबों को मदद दे चुका है और इस वित्तीय वर्ष में 700 अतिरिक्त क्लबों का उसने लक्ष्य रखा है। वित्तीय समावेश वास्तव में घटित हो, इसके लिए बैंक शाखाओं में व्यापार संवाददाताओं सहायकों (फसिलेटेटर) की आवश्यकता होगी क्योंकि इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए बैंकिंग संस्थानों में कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। संसाधन विहीन ग्रामीण महिलाएँ स्वयं की सहायता कर सकती हैं यदि वे समूह बनाकर स्थानीय क्षेत्रीय बैंक से जुड़ जाएं। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को काफी प्रोत्साहित कर रही है और कई योजनाएँ शुरू की हैं। बैंक और एन.जी.ओ. के सहयोग से नाबार्ड और भी दलित महिलाओं को स्वावलम्बी समूह आंदोलन के द्वारा बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक सभी एजेंसियों की मदद से एक लाख से अधिक एस. एच.जी. राज्य में बनाए जा चुके हैं और इस वर्ष 47 हजार नये एस.एच.पी. के क्रेडिट अनुबन्ध बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन समूहों को पूरे राज्य में नाबार्ड और अन्य संस्थानों के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से सहयोग दिया जाता है। कृषि ऋण में संयुक्त दायित्व समूह (जे.एल. जी.) की नयी अवधारण प्रस्तुत की गई है; किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत वैसे किसान नहीं आते हैं जो वास्तव में जमीन जोतते हैं पर जिनके पास कोई जोत-क्षेत्र नहीं है, ऐसे किसान संयुक्त दायित्व समूह बना सकते हैं और बैंक से पूंजी ले सकते हैं, यदि उन्हें किसान क्लब या स्थानीय पंचायत से मान्यता मिली हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा कुछ जिलों जैसे समस्तीपुर और गया में लगभग 1718 जे.एल.जी. को पूंजी प्रदान की गई है। इस तरह के ऋण के लक्ष्य के उपयोग की रिपोर्टिंग काफी अच्छी है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों की तरक्की के लिए और ग्रामीण उद्यमियों की दक्षता को तकनीक से सम्पन्न बनाने के लिए नाबार्ड विभिन्न संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का आयोजन करता है और वित्तीय संस्थाओं से संबद्ध करने हेतु व्यवस्था करता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान इस तरह के 80 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लगभग 2500 ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। नाबार्ड ग्रामीण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, जिन्हें रूडसेट के नाम से जाना जाता है, को सहयोग प्रदान करता है। बिहार में फिलवक्त इस तरह के चार संस्थान सक्रिय हैं और प्रत्येक जिले में एक संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस न्यूनतम लक्ष्य की प्राप्ति में इससे जुड़े सभी संस्थाओं को पहल करनी होगी।

विकास के क्षेत्र में योजना बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि योजना दस्तावेज एक दर्पण होता है जो यह बतलाता है कि क्या वांछित था और क्या उपलब्धि हुई। नाबार्ड विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं का वास्तविक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले के लिए बैंक-ऋण की दिशा में पहल करता है जिसे 'पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान' (संभावना से जुड़ी साख योजना) कहा जाता है। जिलों की बैठकों में अनुमोदित योजनाएँ राज्य योजना बन जाती हैं। वर्ष 2008-09 के लिए राज्य की अनुमानित योजना 17490 करोड़ रुपये की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नाबार्ड अन्य बैंकिंग संस्थानों और राज्य स्तर के बैंकर्स समिति के साथ मिलकर मॉनिटर करेगा और इसे प्राप्त करने हेतु प्रयास करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दिए गए दीर्घ और लघु अवधि के ऋणों के लिए सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और व्यावसायिक बैंकों को भी नाबार्ड द्वारा पुनः ऋण सहायता प्रदान की जाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम लाभ वाली परियोजनाओं में कीमती संसाधनों के निवेश के कारण बैंकों को हुई क्षति को कुछ हद तक कम किया जा सके। राज्य में केन्द्र सरकार के आर्थिक अनुदान से कई संरचना परियोजनाओं के लिए बैंकों की योजनाओं को भी विभिन्न बैंकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिनके लिए नाबार्ड के माध्यम से आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण भंडारण योजना और डेयरी विकास के लिए वेंचर कैपिटल (जोखिम राशि) इस खण्ड में सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी परियोजनाएँ हैं। अभी तक 63 हजार मीट्रिक टन संग्रहण क्षमता का निर्माण राज्य में किया जा चुका है तथा आर्थिक अनुदान के रूप में 1.78 करोड़ रुपये जा चुके हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार में संग्रहण स्थान के निर्माण की जरूरत है। शीत संग्रहण के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदान को भी नाबार्ड के द्वारा वितरित किया जाता है और अब 70 इकाइयों में तीन लाख टन शीत संग्रहण क्षमता के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 15.36 करोड़ रुपये बिहार में दिए गए हैं।

पूर्व के वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से राज्य सरकार को दिए गए ऋण में 47% की वृद्धि हुई। संस्थान के सहयोग के फलस्वरूप अनेक अच्छी ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई संरचना, पेयजल प्रणाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा संरचना, लघु पनबिजली परियोजना आदि का निर्माण हुआ है। आने वाले वर्षों में आर.आई.डी.एफ. की सहायता से इस तरह की अधिक संख्या में संरचनाओं के निर्माण की उम्मीद है। अभी तक राज्य सरकार को 621.68 करोड़ रुपये के ऋण घटक वाली परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है।

योजना आयोग और राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड को बिहार के दक्षिणी भाग में आठ सूखाग्रस्त जिलों में जल संग्रहण विकास के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है। ग्रामीण स्तर की समितियों और गैर-सरकारी संगठनों, जो जमीनी स्तर पर जोत-क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं, की सहभागिता से साठ हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रभावित करने वाली 60 परियोजनाओं को विकास हेतु अपनाया गया है। नाबार्ड अपने जनजाति विकास निधि से दक्षिण बिहार के जनजाति बहुल ग्रामों में अनुदान आधारित ग्रामीण जीवनयापन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। जैसा कि पहले कहा गया है, नाबार्ड बिहार राज्य में अनेक विकास योजनाओं से जुड़ा है, उपर्युक्त तथ्य उनमें से कुछ को दर्शाते हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान नाबार्ड ने राज्य में प्रशिक्षण, प्रोत्साहन सहायता जैसे कितने अनेक गैर-वित्तीय हस्तक्षेप किये और यह 547.97 करोड़ के निर्धारित वित्तीय सहायता के अतिरिक्त था, जो पूर्व के वर्ष की तुलना में 37% अधिक था। राज्य के विकास में इस छोटी पर महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय हम विभिन्न सहयोगी संस्थानों को देते हैं और आने वाले वर्षों में प्रयासों और पहल की उम्मीद करते हैं।

❑

(लेखक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक हैं।)

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

पंचम लाल

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 से प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक नये युग की शुरुआत हुई, जिसके अन्तर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां दोनों ही, जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर निर्वाचित पंचायतों को सौंपी गयी हैं। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत न्याय पंचायतों/ग्राम कचहरियों का गठन किया गया है जिससे ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही उचित न्याय मिल सके।

बिहार राज्य में 38 जिला परिषद्, 531 पंचायत समितियां एवं 8463 ग्राम पंचायतें गठित हैं। बिहार पंचायतों का निर्वाचन मई-जून, 2006 में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पंचायत राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला है। दिनांक 1.1.2007 को विभिन्न स्तरों की निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	पद का नाम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	महिला
1.	ग्राम पंचायत सदस्य	95566	18339	716	114621	62733
2.	मुखिया	6705	1685	68	8458	4222
3.	पंचायत समिति सदस्य	9156	2319	91	11566	5671
4.	जिला परिषद् सदस्य	959	192	9	1160	598
5.	पंच	98680	17439	875	108994	82805
6.	सरपंच	7011	1382	68	8461	4022

इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थानों के कार्यों की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण करने एवं निगरानी समिति गठित करने का निर्देश है। निर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को लोक सेवक का दर्जा दिया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के त्वरित कार्यान्वयन हेतु बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006, बिहार जिला योजना समिति नियमावली, 2006 बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियमावली, 2007, बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियमावली, 2007 एवं बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007 लागू है। शेष नियमावली के बनने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति गठित है।

भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 G) में पंचायतों के लिए वर्णित 29 विषयों में से राज्य सरकार के विभिन्न 20 विभागों द्वारा कार्य मानचित्रण के माध्यम से कार्यों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन किया जा चुका है। निधि का प्रतिनिधायन प्रक्रियाधीन है।

पंचायती राज संस्थानों की आंतरिक संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही चतुर्थ राज्य वित्त अयोग का गठन किया जा चुका है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रही है। उदाहरण स्वरूप इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन, विभिन्न विकास कायक्रमों में स्थलों का चयन, शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रम यथा: शिक्षा मित्र की नियुक्ति, पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति एवं साक्षरता कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्ड की तैयारी एवं वितरण, कल्याण विभाग के तहत ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का चयन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता का चयन, टीकाकरण कार्यक्रम एवं बच्चों का स्वास्थ्य, सुखाड़ के समय अनुदानित दर पर डीजल कूपन का वितरण, आपूर्ति विभाग के तहत राशन कूपन का वितरण, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एवं राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों का चयन एवं कृषि विभाग के तहत माइक्रो मोड योजना एवं अन्य योजनाओं में लाभार्थियों का चयन एवं मिनी किट का वितरण आदि महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बारहवें वित्त आयोग के तहत 324.80 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है।

बिहार राज्य में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के 37 जिलों (सिवान को छोड़कर) में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम लागू किया है जिसके तहत प्रत्येक जिले को न्यूनतम राशि 10 करोड़ के अतिरिक्त जिले की आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार पर औसतन 17 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विकास अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे स्थानीय आधारभूत संरचना एवं विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की (ऐसी) नाजुक कड़ियों को जोड़ा जा सके। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने वार्षिक योजना 2007- 08 के कार्यान्वयन हेतु 542.70 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है। पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों की आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपया प्रति जिला उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिये 6 वर्ष अर्थात् 2005- 06 से 2011- 12 तक की परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार प्रदान कर दी है जिसके तहत मास्टर रिसोर्स परसन् एवं जिला स्तरीय रिसोर्स परसन् का प्रशिक्षण, प्रारंभिक पाठ्यक्रम, आधारभूत कार्यालय पाठ्यक्रम, कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम, श्रेणीबद्ध प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आई.टी.सेल की स्थापना राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (विपार्ड) एवं जिले तथा मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, हेल्प लाईन की स्थापना, सेटेलाइट स्टूडियो एंव रिसिविंग सेन्टर की स्थापना, प्रखंड स्तर पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संविदा पर मल्टीटास्क फंकसनरीज, सहायक अभियंता, योजना पदाधिकारी एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर एसोसिएट की नियुक्ति की जानी है।

वर्ष 2008- 09 की वार्षिक जिला योजना एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित किए गए तकनीकी सहायता संस्थानों एवं उनके पार्टनर ऐजेंसी का चयन किया गया है जिनके द्वारा उप विकास-आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के मार्गदर्शन में जिला प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

इधर, पंचायती राज संस्थानों में आई. टी. के माध्यम से लेखा संधारण को सुदृढ़ करने हेतु प्रिया सॉफ्ट पंचायत स्तर पर योजना निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु प्लान प्लस एवं एक्शन प्लस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के माध्यम से सभी पंचायतों हेतु वेबसाइट पर आंकड़ों के संधारण की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में लिपिक-सह-रोकड़पाल की संविदा के आधार पर नियुक्ति का कार्यक्रम, सरपंच/पंच का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

पंचायत राज महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को योजना निर्माण, लेखा संधारण, कानूनी सहायता आदि विषयों से सशक्त बनाने हेतु राज्य स्तर पर एसोसिएशन के गठन की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर कोर कमिटि के गठन की कार्रवाई की जा चुकी है और निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मलेन भी आयोजित किया गया है जिसमें महिला प्रतिनिधियों द्वारा अपना ' चार्टर ऑफ डिमान्ड' पारित कर पंचायती राज मंत्रालय को प्रेषित किया गया है।

राज्य में ग्रामीण व्यापार केन्द्र की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों का मानक एवं राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। इसमें लब्ध प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों से भी सहयोग लिया जाना है।

राज्य की 8463 ग्राम कचहरियों में न्यायमित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार 3968 न्यायमित्रों एवं 4820 ग्राम कचहरी सचिवों के पदों पर नियोजन की कार्रवाई की जा चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान परिपेक्ष्य में भी पंचायती राज के बिना ग्रामीण विकास का गॉधीजी का सपना अधूरा है। ❑

(लेखक पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं।)

पंचायती राज और बिहार में विकास

प्रोफेसर सचिन्द्र नारायण

पंचायती राज भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पहचान है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में पंचायती राज का वर्णन मिलता है। बिहार को यह गौरव प्राप्त है कि सबसे पहला गणतन्त्र यहीं स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में पंचायती राज को व्यावहारिक रूप में लागू किया जाये जिससे ग्रामीण भारत के अत्यंत पिछड़े और दलित की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और स्वतंत्रता का फल उन्हें मिल सके। देश की आजादी के बाद सबसे पहले राज्य में पंचायती राज का चुनाव हुआ जिसमें तात्कालिक बिहार के आदिवासियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। मैंने अपनी पुस्तक Dynamics of Tribal Development in India, (Inter India Publications, New Delhi, 1985) में इसकी विस्तृत चर्चा की है।

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 जो बिहार गजट (असाधारण अंक) में 8 अप्रैल, 2006 को प्रकाशित हुआ, में विस्तार से त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्थाओं एवं पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य की चर्चा की गयी है। यदि बिहार के गाँवों का सम्पूर्ण विकास हो जाता है तो बिहार का विकास स्वत: हो जायेगा, इस बात को ध्यान में रखकर प्राय: उन सभी कार्यों को त्रिस्तरीय पंचायती राज के संस्थानों यथा: ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद् को उनके कार्य एवं शक्ति के रूप में प्रदान किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के संस्थानों से जुड़े हुए पदाधिकारी यदि चाहेंगे तो पंचायत के स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर और जिला परिषद् के स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों का वास्तविक विकास कर सकते हैं। अभी हाल में ही दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रत्येक राज्य ने अपने राज्य के पंचायती राज्य के बारे में तथ्य रखे थे, यदि उन तथ्यों पर हम गौर करें तो पायेंगे कि बिहार के विकास में पंचायती राज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुने गये पदाधिकारियों में 50 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण का लाभ लेकर महिलाएँ आगे आयीं और उन्होंने चुनाव में सक्रिय भूमिका निभायी। वे न केवल उन पदों पर चुनी गयीं, बल्कि उन्होंने ही सुव्यवस्थित ढंग से अपने पदों की गरिमा को रखा और कार्यों का सम्पादन किया।

मैंने अपने एक शोध अध्ययन में लिखा है कि 50 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को आरक्षण मिलने के कारण स्वाभिमान और गौरव उनको मिला है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया शब्द सुनने को मिलता है 'मुखियापति'। ग्रामीण बिहार के पुरुष अपने आप को 'मुखियापति' कहकर गौरव महसूस करते हैं। उनकी पहचान उनकी पत्नी से है जो पहले नहीं थी। पहले ग्रामीण बिहार में 'मुखियापति' शब्द

का चलन था ही नहीं, क्योंकि महिलाओं का अधिकांशतः शोषण होता था, परन्तु अब महिलाओं की मुखिया, जिला परिषद् अध्यक्ष इत्यादि चुने जाने के कारण उनमें जागरूकता पूरी तरह से आ गयी है और वे केवल अपना ही नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो गयी हैं।

मैंने मुजफ्फरपुर में, इसी सन्दर्भ में किये गये एक शोध अध्ययन में पाया कि पंचायती राज के तहत चुनी गयी महिलाओं ने, जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति से आती हैं, एक आन्दोलन चलाया कि चुनी गयी सभी महिलाओं को साक्षर बनाया जाय, जिससे कि वे कम से कम अपना दस्तखत सही ढंग से कर सकें और आवश्यक कागजात को स्वयं पढ़ सकें। मैंने पाया कि चुनी गयी सभी महिलाएँ चाहे किसी भी पद के लिए चुनी गयीं हों वे आज साक्षर हो गयी हैं। बिहार राज्य के पूर्व सरकारों ने बहुत कोशिश की थी उन्हें साक्षर करने की, परन्तु सफल नहीं हो पायी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक आदेश (50 प्रतिशत महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण) ने वह चमत्कार कर दिया कि सभी की सभी चुनी गयी महिलाएँ साक्षर हैं।

मैंने गया जिले के एक अध्ययन में पाया कि चुनी गयी पंचायती राज की संस्थाओं की महिला पदाधिकारी, पुरुष पदाधिकारियों की तुलना में ज्यादा काम करती हैं। वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास की जमीनी काम को सुचारू रूप से लागू करने में ज्यादा सशक्त और सक्षम हैं। इसी अध्ययन में यह भी पाया गया है कि चुनी गयी महिला पदाधिकारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा ईमानदार भी हैं।

बिहार की अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित आदिम जन जातियों की भागीदारी पंचायती राज में नहीं हो पा रही है। मैंने अभी-अभी बिहार की अनुसूचित आदिम जन जातियों का अध्ययन किया है, जिसमें यह चौंकानेवाले तथ्य उभर कर सामने आए हैं। बिहार की अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित आदिम जन जातियों का बिहार के त्रिस्तरीय पंजायती राज व्यवस्था में भागीदारी नगण्य है। हालांकि इन आदिवासियों की अपेक्षाएँ पंचायती राज व्यवस्था से बहुत अधिक हैं, किन्तु उनका कहना है कि ग्रामसभा और आमसभा में उनकी भागीदारी नहीं हो पाती है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विभाग को इसमें ठोस कार्यक्रमों के साथ पहल करनी चाहिए, जिससे कि बिहार के विकास में अतयंत पिछड़ी ये जन जातियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और अपना योगदान देकर न केवल अपना विकास कर सके, बल्कि राज्य के विकास में भी सार्थक योगदान दे सके।

पंचायती राज व्यवस्था बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है, परन्तु इसमें अभी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है। बिहार के पूर्ण निर्माण में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों को शोधपूर्ण व्यावहारिक तथ्यों के द्वारा दूर करने की आवश्यकता है। इन व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने में संसाधन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि लागू करने वाले की इच्छाशक्ति की।

बिहार के अन्य जिलों के शोधपूर्ण तथ्यों के आधार पर मुझे यह कहने और लिखने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार के विकास में पंचायती राज संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जरूरत है शोधपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करने की, जिससे विकास की गति को तीव्रता दी जा सके और अति पिछड़े आदिम जन जातियों की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके।

मैंने अपने इसी शोधकार्य के सिलसिले में सुपौल जिले में पाया कि महिलाएँ और बच्चे नेपाल से हथियार की तस्करी में सामान लानेवाले मजदूर का कार्य करते हैं, किन्तु जहाँ महिला मुखिया हैं वहाँ-वहाँ

महिलाएँ इस काम में कम-से कम भाग लेती हैं क्योंकि साथ की महिलाएँ दबाव देती हैं कि वे अनैतिक और गैर-कानूनी कार्य न करें। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो न्याय की व्यवस्था है वह कुछ कमजोर पड़ गयी है, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि इसकी न्याय व्यवस्था को मजबूत और प्रभावकारी बना दी जाती है तो ऊपर के अदालतों में मुकदमों की संख्या घटेगी। ऊपर के अदालतों में मुकदमों की संख्या घटने से न्याय देने की प्रणाली और प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। पंचायती राज के चुने हुए पदाधिकारी और सरकारी पदाधिकारियों को इस दिशा में ठोस कार्यक्रमों के साथ आगे जाने की आवश्यकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय की व्यवस्था को मजबूत और प्रभावकारी बनाने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल बिहार सरकार ने 'न्याय मित्रों' की नियुक्ति तो की है किन्तु इसके साथ न्याय कार्यशाला का भी आयोजन होना चाहिए तथा न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित कानूनी पुस्तकों को लोकोपयोगी भाषा में निर्माण कर प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध करा देना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती से सफल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

पंचायती राज व्यवस्था के तहत योजनाओं के निर्माण के लिए चुने गये पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें योजना का निर्माण कैसे किया जाए, उसका बजट कैसे बनायें और उसका निष्पादन कैसे करें इत्यादि बातें बतायी जाती हैं। इसे सुचारू रूप से एवं प्रभावकारी ढंग से लागू करने की जरूरत है। मुझे एक दिन एक जिला के जिला परिषद् के अध्यक्ष ने फोन कर बताया कि उनके जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ट्रेनिंग देने के लिए विशेषज्ञ आये हैं वे हैदराबाद से आये हैं। वे हिन्दी (एक जिला

विशेष की हिन्दी) नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी अंग्रेजी पंचायती राज व्यवस्था के चुने हुए अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है जिसका लाभ पंचायती राज व्यवस्था के चुने अधिकारी नहीं ले पा रहे हैं। खानापूर्ति के लिए ट्रेनिंग पूरी हो गयी। परन्तु पंचायती राज व्यवस्था को सफल एवं प्रभावकारी बनाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं हो। दरअसल जो राज्य की भाषा और विषय के जानकार हैं उन्हीं की सेवा ली जाये। यदि ऐसा कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा चयनित एवं आयोजित है तो केन्द्र सरकार को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति नहीं हो।

मैंने हाल में किये गये अपने शोधकार्यों में पाया है कि बिहार के विकास में पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जरूरत है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए वित्तीय आयोग का गठन किया है जिसमें मैंने प्रभावकारी कार्यक्रमों को सुझाया है, जैसे भवन का निर्माण कर किराया पर देना, कर के नये-नये क्षेत्रों को चिन्हित कर कर लगाना इत्यादि । जल्द ही वित्तीय आयोग की अनुशंसा मुख्यमंत्री को सौंप दी जायेगी, जो पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत तथा प्रभावकारी बनाने की दिशा में सार्थक कदम होगी।

पंचायत के स्तर पर निगरानी समिति का गठन होने से पंचायती राज व्यवस्था के तहत किये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता आ गयी है और सचमुच में विकास का जमीनी काम हो रहा है जिससे पिछड़े और अति पिछड़ों को लाभ मिलेगा।

पंचायती राज व्यवस्था को राजनैतिक दलों से दूर रखना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में हो रहे नये-नये शोधकार्यों को प्रत्येक पंचायत में पहुँचाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रत्येक ग्रामीण अपना विकास अपनी आवश्यकताओं, संरचनाओं और स्थानिक संसाधनों के बलबूते कर सकें। यदि व्यक्तित्व के विकास में हम सफल हो पाए, तो पंचायती राज व्यवस्था की यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। जरूरत है कि स्थानीय संसाधन और स्थानीय संरचनाओं को पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू, प्रभावकारी एवं पादरर्शी बनाने के लिए लागू कर दिया जाए, जो वस्तुतः आज बिहार में किया जा रहा है, तो वह दिन दूर नहीं जब हम बिहार को देश के विकसित राज्यों के अग्रणी कतार में पायेंगे। ❑

(सदस्य, टास्क फोर्स पंचायती राज,
बिहार, सरकार)

बिहार में गरीबी निवारण कार्यक्रम

यदि आप गरीबी को मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की वंचना के रूप में देखते हैं, तो आप तत्काल इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह कमजोर सामाजिक पूंजी, ज्ञान पूंजी और आय सृजन अवसरों के अभाव का परिणाम है, जो गरीबों के जीवन और जीविकोपार्जन को अनेक प्रकार से बाधित करता है। गरीबों को पंगुता और वंचना के दुश्चक्र से बाहर निकालने हेतु गरीबी निवारण के विविध कार्यक्रम बनाए गए और अमल में लाये गए।

इधर, उनकी सामाजिक पूंजी के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के जरिए एक सहकारी माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि सामाजिक पूंजी के सुदृढ़ीकरण के अलावा किसी आर्थिक उद्यम में उनके सामूहिक श्रम एवं कौशल का बेहतर आर्थिक लाभ भी मिल सके। यहीं पर 'स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना' की महत्ता सामने आती है जिसके अंतर्गत न केवल स्वयं सहायता समूहों के निर्माण में मदद पहुंचाई जाती है, बल्कि आर्थिक उद्यम हेतु समूहों को अवसर भी मुहैय्या कराए जाते हैं। इसी प्रकार 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम' एक युगांतकारी कार्यक्रम है जिसमें 'रोजगार तक पहुँच' बनाने के लिए नागरिकों का संवैधानिक अधिकार बना दिया है। इसी तरह 'इंदिरा आवास योजना' समाज में गृहविहीन लोगों की समस्याओं के निपटारे का लम्बे समय से एक लोकप्रिय कार्यक्रम रही है। सभी कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर आगे चर्चा की गई है। हालांकि पिछले वर्ष में क्षेत्रकर्मियों के पहले ग्रामीण परिवार सर्वेक्षण के सघन पुनरीक्षण और फिर बाढ़ राहत कार्यों में पूरी तरह व्यस्त होने के कारण प्रदर्शन प्रभावित हुआ है।

स्वयं सहायता समूह एवं स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना

पिछले वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह तक कुल 8234 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जो विगत 8 वर्षों की औसत वार्षिक उपलब्धि प्रति वर्ष 12984 स्वयं सहायता समूह का सिर्फ 63.4 प्रतिशत है। इन 8234 स्वयं सहायता समूहों में 4317 महिला स्वयं सहायता समूह हैं (52.4 प्रतिशत)। राज्य में स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के लिए उपलब्ध निधि से नवम्बर, 2007 तक सिर्फ 52 प्रतिशत राशि उपयोग में लायी गई है।

वित्तीय उपयोग तथा भौतिक उपलब्धियां, दोनों ही दृष्टि से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के प्रदर्शन में अलग-अलग जिलों में व्यापक विविधता देखने को मिलती है। एक ओर जहाँ अरवल में उपलब्ध राशि का सिर्फ 7.5 प्रतिशत उपयोग में लाया गया, वहीं सुपौल में 97.9 प्रतिशत राशि खर्च की गयी है। सबसे ज्यादा संख्या में स्वयं सहायता समूह का निर्माण करने वाले जिलों में अव्वल था – मुजफ्फरपुर (776)। उसके बाद के जिले हैं सहरसा (589), गोपालगंज (575) तथा मधुबनी (459), जबकि दो जिलों-भागलपुर तथा लखीसराय में एक भी स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं किया गया। वर्ष-2007-08 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 52675 लोगों को आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता दी गई। तकरीबन 19 प्रतिशत लाभार्थी स्वरोजगारी थे और शेष स्वयं सहायता समूहों के

सदस्य। इसी प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत 53873 लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसके लाभार्थियों में व्यक्तिगत स्वरोजगारी लगभग 11 प्रतिशत थे। यहां उल्लेखनीय है कि व्यक्तियों की अपेक्षा स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करने पर जोर दिया गया। यह भी पाया गया कि बैंकों ने 13342 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों और 5825 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत किए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यह मांग आधारित कार्यक्रम है। वर्ष-2007-08 में 65,40,205 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए, उनमें 36.09 प्रतिशत ने रोजगार की मांग की तथा 35.95 प्रतिशत (2351012 परिवारों) को रोजगार दिया गया। उनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 100 दिनों का रोजगार 0.98 प्रतिशत (23044 परिवारों) को ही दिया जा सका। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जिलों के प्रदर्शन में व्यापक विविधता पायी गयी। मधुबनी में जहां सिर्फ 4.19 प्रतिशत जॉब कार्डधारी परिवारों ने काम की मांग की, वहीं बांका में यह आंकड़ा 93.8 प्रतिशत था।

पिछले साल इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2351012 परिवारों के लिए लगभग 493 लाख (व्यक्ति) कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। लाभार्थियों में 20 प्रतिशत परिवार इंदिरा आवास योजना या भूमि सुधार कार्यक्रमों में भी लाभान्वित थे। जैसा कि अन्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों में देखा जाता है, इस कार्यक्रम में भी विभिन्न जिलों में रोजगार सृजन के मामले में काफी विविधता है। अरवल में जहाँ 5.4 प्रतिशत निधि का उपयोग करके रोजगार हेतु मात्र 1.6 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए, वहीं लखीसराय में लगभग 82 प्रतिशत निधि खर्च करके 57.7 लाख कार्य दिवस पैदा किए गए। नवादा में निधि उपयोग दर सबसे अधिक रही 87.33 प्रतिशत। पूरे राज्य में निधि उपयोग दर 41.11 प्रतिशत थी।

इंदिरा आवास योजना

वर्ष-2007-08 वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह तक इस योजना के अंतर्गत लक्षित 567171 घरों में से सिर्फ 1,84,142 नए घरों का निर्माण हो पाया, जबकि 16,578 घरों का उन्नयन किया गया तथा 1074 ऋण-सह-सहायता प्राप्त घरों का निर्माण किया जा सका, अर्थात् कुल 2,01.794 घरों का ही निर्माण हो सका।

5.6 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

बिहार जैसे राज्य में, जहां 90 प्रतिशत आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, स्थानीय स्वशासन तंत्र के सुदृढ़ीकरण के महत्व पर अलग से जोर देना आवश्यक नहीं है। राज्य की पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विगत दो वर्षों में बिहार सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:

स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण हेतु परामर्श एवं अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए पंचायती राज कार्यदल का गठन किया गया है।

ग्राम कचहरियों के क्रियाकलाप को सुदृढ़ व सुगम बनाने के लिए न्यायमित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति शुरू की गई है।

एक ओर जहाँ बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की रोशनी में शुल्क निर्धारण, ग्राम सेवा दल का गठन, ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति तथा ग्राम सभा बैकों के

संचालन से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं, वहीं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(क) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006।

(ख) बिहार जिला योजना समिति का निर्माण तथा कार्यकारी व्यापार नियमावली, 2006।

(ग) बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007।

(घ) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007।

(ङ) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007।

- पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु परामर्श एवं अनुशंसा देने के लिए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।
- ग्रामीण व्यापार केन्द्र (हब) स्थापित करने तथा उन्हें क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से बिहार राज्य ग्रामीण व्यापार केन्द्र (हब) का निर्माण किया गया है।
- सेवा प्रदाता प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों तथा संबंधित सरकारी पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू की गई हैं।
- निधियों के बेरोकटोक हस्तांतरण के लिए पारदर्शी एवं सरल प्रणाली विकसित की जा रही है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में लेखापाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के जरिए गरीबी दूर करने की भारत की रणनीति के निम्न उद्देश्य हैं : (1) ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन और (2) ग्रामीण श्रम शक्ति का प्रशिक्षण तथा रोजगार। दरअसल, सरकार चाहती है कि लक्षित कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की मार झेल रहे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाय। ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम इस रणनीति की रीढ़ है। यह रणनीति है– ग्रामीण आबादी को ऊँचा उठाना, ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव लाना और इस प्रकार गांवों में समृद्धि बहाल करना। इस संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रयास इस प्रकार हैं:
- सभी 534 प्रखण्डों में प्रखण्ड सूचना केन्द्र खोले गए हैं।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि वास्तविक मजदूर ही भुगतान प्राप्त करें, पायलट आधार पर एक बायोमेट्रिक मस्टर रौल (जैव-सांख्यिक हाजिरी रजिस्टर) प्रणाली आरंभ की गई है।
- पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में काफी वित्तीय और भौतिक प्रगति हुई है।
- 2006–07 में मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों में 1045 करोड़ रु० खर्च किए गए।
- 2007–08 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 337 करोड़ रु० खर्च किए जाने हैं।
- 2006–07 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1186 करोड़ रु० खर्च किए गए और 3,14,697 घरों का निर्माण किया गया।
- 2007–08 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 306 करोड़ रु. खर्च किये गये हैं और 1,06,456 घरों का निर्माण किया गया है।

- 2006-07 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 9,174 स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान किया गया है।
- 2007-08 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3,556 स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में निम्नलिखित पहल की हैं:

- आपातकालीन योजना के तौर पर सूखा काल में 183610 चापाकलों की मरम्मत कराई गई।
- 62 ग्रामीण पाइप-जल आपूर्ति योजनाएं आरंभ की गईं।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए 228601 शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए 57406 शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- 95 सामुदायिक शौचालय निर्मित कराए गए।
- 43 पंचायतों को 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' से नवाजा गया।
- वैशाली जिला के देसरी प्रखण्ड को स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया।
- अनाच्छादित तथा आंशिक रूप से आच्छादित वास स्थानों को आच्छादित करने हेतु अनुमानत: 11359 लाख रु. की लागत से 50923 चापाकल लगाए गए।
- 65 पुरानी ग्रामीण पाइप-जल आपूर्ति योजना के पुनर्गठन हेतु स्वीकृत योजना कार्यान्वयन के स्तर पर है।
- प्रखण्ड मुख्यालय स्थित 153 गांवों के लिए पाइप-जल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।
- अनाच्छादित/आंशिक रूप से आच्छादित वास स्थानों के आच्छादन हेतु 64010 चापाकलों को लगाने की योजना स्वीकृत की गई है।
- आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित 90 वासस्थानों के आच्छादन हेतु रिवर्स ऑस्मोटिक/मेंब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित 50 पाइप-जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- 57408 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में एक अतिरिक्त चापाकल लगाने की योजना स्वीकृत की गई है।

5.7 पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अपंगों तथा दूसरे सामाजिक समूहों को शेष समाज के समतुल्य लाने की दृष्टि से उनका विकास एवं सशक्तीकरण एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो संविधान में प्रतिष्ठापित है। इसके लिए सामाजिक न्याय की दृष्टि अपनानी होगी ताकि समान अधिकारों, लाभों तथा संसाधनों तक पहुंच और सशक्तीकरण सुनिश्चित हो सके और वे योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया के जरिए सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में अपनी संभावनाओं व क्षमताओं का विकास करने में सक्षम हो सकें। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

विकलांगों हेतु समाज कल्याण कार्यक्रम

- विकलांगों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना आरंभ की गई है।
- विकलांग विद्यार्थियों के लिए वजीफों की दर बढ़ा दी गई है।
- 473643 विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराया गया तथा 100663 विकलांगता प्रमाण-पत्र-सह-परिचय पत्र वितरित किये गये हैं।
- सरकारी नौकरी हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में विकलांग व्यक्तियों की उम्र में 10 वर्ष की छूट दी गई है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए चलंत न्यायालयों की व्यवस्था की गई है।
- विकलांगों को अधिशुल्क के बिना रियायती दरों पर जमीन आवंटित की जाएगी।
- विकलांगों के लिए सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित कर गई हैं।
- विकलांगों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।

सामाजिक सुरक्षा

- गरीब परिवारों के लिए प्रति माह 200 रु. की दर पर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आरंभ की गई है।
- गरीब परिवारों के अपंग व्यक्तियों के लिए प्रति माह 200 रु. की दर पर बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की गई है।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 1500 रु. की सहायता प्रदान करने हतु कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना प्रारंभ की गई है।
- पेंशनधारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में पेंशनधारी बीमा नीति के तहत राज्य सरकार सालाना 15 रु. ऑरिएंटल इंश्योरेंस

कंपनी को भुगतान करेगी। पेंशनधारी की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा पेंशनधारी के आश्रित को 1,00,000 रु. का भुगतान किया जाएगा।

- सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दर 100 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 200 रु. प्रति माह कर दी गई है।
- स्थानीय डाकघर में पेंशनधारियों के बचत खाते खुलवाकर उनके जरिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण किया जा रहा है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। यह 2005 के 8.79 लाख से बढ़कर 2007 में 17.33 लाख हो गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति

- अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 13 और लड़कों के लिए 1 नया आवासीय विद्यालय खोला गया है। प्रत्येक विद्यालय में 248 विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध है।
- आवासीय विद्यालयों में भोजन, पोशाक जैसी सुविधाओं के आवंटन में दस वर्षों के बाद लगभग दोगुनी वृद्धि की गई है।
- बेहतर प्रबंधन हेतु आवासीय विद्यालयों की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में विधान सभा सदस्यों को मनोनीत किया गया है।
- आवासीय विद्यालयों के नए व अतिरिक्त भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए वजीफा योजना की राशि में 2005-06 की तुलना में 2006-07 में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। 2005-06 के दौरान तकरीबन 8 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला था। 2006-07 में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए है। 2007-08 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 28 लाख बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाया गया है।
- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम में शेयर पूंजी के लिए 2 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।
- अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु 13 करोड़ रु. राशि स्वीकृत की गई है।

महादलित आयोग

- दलित आबादी कोई समरूप इकाई नहीं है। कुछ जातियां अन्य दलित जातियों की तुलना में अधिक वंचित हैं। इन अत्यंत अभिवंचित जातियों में मेहतर, डोम, मुसहर, नट , तूरी, बांतर, भूइयां, कौंजर, कुरियार, इतारी, हजलालखोर, लालबेगी, पान, स्वासी, बाउरी, भोगता तथा कुछेक अन्य जातियां शामिल हैं। आबादी के इन तबकों के विकास के लिए राज्य सरकार ने अगस्त, 2007 में महादलित आयोग का गठन किया। आयोग में अध्यक्ष समेत पांच सदस्य हैं।
- नवम्बर, 2007 में आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्य के महादलितों की जीवन दशा में सुधार हेतु कई अनुशंसाएं हैं। इन अनुशंसाओं में खाद्य सुरक्षा एवं हकदारी, आर्थिक सशक्तीकरण, वासगीत जमीन तथा घर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, राजनीतिक सशक्तीकरण तथा सांस्कृतिक विकास शामिल हैं।

पिछड़ी जाति/अन्य पिछड़ी जाति कल्याण

- वजीफा योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवंटन में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है–2005-06 के 30.16 करोड़ रु. को बढ़ाकर 2007-08 में 49.89 करोड़ रु. कर दिया

गया है।

- अन्य पिछड़े वर्गों के वजीफा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- 4 आवासीय बालिका उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।
- आवासीय विद्यालयों में भोजन, पोशाक आदि सुविधाओं के लिए आवंटन करीब दोगुना कर दिया गया है।
- अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 4 छात्रावासों के लिए 4.50 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई है।
- बिहार राज्य पिछड़े वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ करने हेतु निगम की शेयर पूंजी के रूप में 1.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण

- तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा हेतु 3 प्रतिशत के सरल ब्याज पर शैक्षिक ऋण वितरण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से पहली बार 25 लाख रु. की राशि आई है। राशि 61 लाभार्थियों के बीच वितरित कर दी गई है।
- अल्पसंख्यकों, खास तौर से महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखने के उद्देश्य से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु एक पृथक् 10-सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- 2006-07 के दौरान राज्य के अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिख, इसाई और बौद्ध) के स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से निधि प्राप्त हुई थी। इस राशि से 6 प्रतिशत के सरल ब्याज पर 1532 लाभार्थियों के बीच ऋण के रूप में 8,46,51,176 रु. वितरित किए गए।
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। राज्य सरकार ने इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री की सुविधाएं प्रदान की हैं।
- सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक छात्रा-छात्राओं के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब तक 14 जिलों में 15 छात्रावास तैयार हो चुके हैं। पटना में लड़कों तथा लड़कियों, दोनों के लिए छात्रावास बनकर तैयार हो चुके हैं।
- महाविद्यालय जाने वाले अल्पसंख्यकों विद्यार्थियों के लिए मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 200 लाख रु. का आवंटन हो चुका है।
- प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने को इच्छुक मेधावी एवं गरीब अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की कोचिंग हेतु एक योजना आरंभ की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 200 लाख रु. आवंटित किए गए हैं
- तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के स्वरोजगार में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष-2007-08 140 लाख रु. का आवंटन किया गया है। पूर्व में 100 तलाकशुदा महिलाओं के बीच 10 लाख रु. बांटे गए थे।
- 2007-08 में वक्फ की संपत्तियों के रख-रखाव, सुरक्षा एवं विकास हेतु 50 लाख रु. आवंटित किए गए हैं।
- बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक निगम ने निःशुल्क वितरण हेतु उर्दू में प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकें प्रकाशित की हैं।
- उर्दू भवन के रख-रखाव पर 58 लाख रु. खर्च किए गए हैं।
- सरकार ने भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए 2500 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा हेतु 10,000 रु. प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत कुशल श्रमिकों को प्रति माह 1500 से 200 रु. वजीफा के साथ 6 से 12 सप्ताह का आवश्यक अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रु. का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- जमुई, बेगूसराय और नालंदा जिलों के बीड़ी मजदूरों के लिए घरों का निर्माण कराया जा रहा है।

महिला कल्याण

- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में लड़की के जन्म होने पर 2,000 रु. दिए जाएंगे।
- महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण हेतु एक नई योजना 'नारी शक्ति योजना' शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में पुनर्वास गृह, पालनाघर, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, हेल्पलाइन आदि स्थापित किए जा रहे हैं। ❑

उग्रवाद से विकास की हरियाली की ओर

जहानाबाद: पिछले तकरीबन दो दशकों से जातीय व उग्रवादी हिंसा -प्रतिहिंसा की जद में रहे जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड के पश्चिमोत्तर इलाके में आज विकास की अद्‌भुत हरियाली दिख रही है। दरअसल इस युगांतकारी बदलाव के पीछे राज्य सरकार व जिला प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति रही है। यहाँ यह भी बताते चलें कि इलाके में सिकरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय का गाँव व उसके आस-पास के इलाके में अस्सी के दशक में ही बहुचर्चित नक्सलवाद के बीज पनपे थे, जो कालान्तर में उग्रवाद का रूप धारण कर लिया। तब अकेले सिकरिया गाँव में ही 53 लोग उग्रवादी व जातीय हिंसा की भेंट चढ़ चुके थे। तकरीबन ढाई वर्ष पूर्व नीतीश कुमार की सरकार बनी और वक्त ने करवट ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पंचायत का दौरा कर "आपकी सरकार आपके द्वार" के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की तथा नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए विकास का साधन अपनाया। वर्तमान जिला प्रशासन अपने अदम्य प्रशासनिक क्षमता का इस्तेमाल कर सिकरिया के आस-पास की पंचायतों में विकास की ऐसी रफ्तार भरी कि सिकरिया बिहार के गांवों का मॉडल बनने लगा। सरकार द्वारा प्रदान किये गये अवसर को जहानाबाद प्रशासन ने चुनौती के रूप में स्वीकारा। पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम ने समस्याग्रस्त पूरे जिले की तस्वीर में सुखद बदलाव तो किया ही, सिकरिया जैसे उग्रवाद की जननी स्थल पर अत्याधुनिक विकास का ऐसा खूबसूरत ताना-बाना बुना कि आज पूरे देश के मीडिया एवं शोधकर्ताओं के लिए सिकरिया एक केन्द्र बन चुका है। आज सिकरिया गाँव में एक ही परिसर में पंचायत भवन, अस्पताल, बैंक, सूचना व कम्प्यूटर केन्द्र, आँगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, पुलिस पिकेट, अनाज गोदाम, जन वितरण प्रणाली दुकान, डाकघर, राजस्व कार्यालय, पशु चिकित्सा केन्द्र आदि यहाँ की विकास कथा के जीवंत गवाह बने हैं। सिकरिया पंचायत मुख्यालय आज देश का एक मात्र ऐसा गाँव है जो वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया से सम्पर्क में आकर यह संदेश दे रहा है कि हम विकास की उस मंजिल पर पहुँच चुके हैं जहाँ से यहाँ के लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। पाँचों पंचायतों में "आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, सभी रोजगार चाहने वालों को जॉब कार्ड, सभी सुयोग्य बच्चों को छात्रवृत्ति, सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन, सभी ग्रामों में विद्यालय, सभी विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचना, सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध करवाये गये हैं तथा प्रत्येक सप्ताह में वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इन पंचायतों का भ्रमण किया जा रहा है। भू-विवादों से निपटने के लिए विशेष शिविर लगाकर दाखिल खारिज करवाये गये। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों के लिए इन्दिरा आवास दिये जाने की तैयारी की जा रही है। खेती के क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए उच्च कृषि तकनीक का प्रयोग इन पंचायतों में किया जा रहा है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। बिहार सरकार ने भी इस इलाके की पाँच पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए चालीस करोड़ रुपये विमुक्त कर जनता से किये गये वायदों को बखूबी निभाया। इन पंचायतों के प्रत्येक गाँव में पक्की सड़कों व नालियों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा प्रत्येक घर में शौचालय का भी। निरीह लोगों के खून से रंगने वाले सिकरिया के इलाके में पिछले दो वर्षों से एक भी हत्या नहीं हुई है जो इस कथ्य को प्रमाणित करता है कि 'जहाँ चाह वहां राह।' बहरलाल, लाल इलाके के नाम से कुख्यात सिकरिया तथा आस-पास के गाँवों में अब विकास की हरियाली देखने को मिलती है। ❑

अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा की पहल

लोग मिलते गये कारवाँ बनता गया

10 मई की सुबह करीब 8.00-8.30 बजे का वक्त इमारत-ए-शरिया से सम्बद्ध भवन 'अलमेहद' की ओर बढ़ते छोटे-छोटे पाँव, आत्मविश्वास से भरे ये पैर थे अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे-छोटे बच्चे -बच्चियों के, जिनकी उम्र होगी करीब 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच। ये ऐसे बच्चे थे, जो कल तक गलियों में कूड़े के ढेर पर खेलते रहते थे, जिन्होंने कभी स्कूल देखा न था, किताबें-पेंसिलें जिनकी पहुँच से दूर थीं। लेकिन आज उनके लिए जश्न का माहौल था। सभी बच्चे आपस में हँसी-ठिठोली करते, उमंग के साथ एक बड़े से हॉल में आयोजित समारोह का हिस्सा बनते जा रहे थे।

यह समारोह था, गली में घूमते रहने वाले उन बच्चों का जिन्हें 6 से 8 माह तक एक केन्द्र में रखकर आज नियमित स्कूल में दाखिला कराया जाना था। समारोह में उपस्थित सभी व्यक्ति खुशी मिश्रित भाव में डूबे थे, क्योंकि कल तक जिन मुँह से गालियाँ निकलती थीं, आज वही हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी का पाठ सुना रहे थे। शिक्षा के महत्व पर आधारित लघु-नाटिका भी प्रस्तुत कर रहे थे।

एक केन्द्र के संचालक मो० शिबली अल कासिमी के अनुसार एक-एक वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्र में 70 से 80 बच्चों को शामिल किया जाता है और 12 से 15 माह की शिक्षा के उपरांत, ये औपचारिक प्रारंभिक विद्यालयों में दाखिला पाने के काबिल हो जाते हैं। अब हालात ये हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में दाखिले के लिए जगह भी नहीं मिलती है। श्री कासिमी बताते हैं कि इमारत-ए-शरिया पूरे पटना जिला में ऐसे 40 केन्द्र चलाता है, जहाँ स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को 12 से 15 माह तक पढ़ाकर नियमित स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। उन्होंने बताया कि फुलवारी

शरीफ के ताजपुर में एक तथा कर्बला में ऐसे दो केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

कर्बला केन्द्र से आये बक्खो समुदाय के बच्चे मो० मिराज, सद्दाम, इम्तियाज और छोटी बच्ची सफीना ने बताया कि वे आगे भी पढ़ना चाहती हैं और पढ़ाई जारी रखेंगी।

समारोह में उपस्थित एक बुजुर्ग आपसी बातचीत में कहते हैं कि जब से राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के क्षेत्र में कई सुविधाएँ मुफ्त देनी शुरू की हैं, तब से इस समुदाय में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। अब इस समुदाय के अभिभावक ही नहीं, बच्चे भी पढ़ाई के प्रति उत्सुक हुए हैं। सरकार की सहायता से उत्साहित होकर अब गैर सरकारी संस्थाएँ भी बच्चों को शिक्षित करने को प्रेरित हुई हैं।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक राजेश भूषण भी शिक्षा के प्रति छोटे-छोटे बच्चों का लगाव देखकर इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने बच्चों के बीच बैठ, उन्हें गले लगाते हुए कहा कि किसी भी कौम या समाज की पहचान उसके बच्चों से ही होती है और प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को नियमित प्रारंभिक शिक्षा दें।

इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा के अमीर-ए-शरियत हजरत मौलाना सैय्यद निजाम-उद्दीन ने इस मौके पर स्पष्ट कहा कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के कार्यक्रम से इमारत -ए-शरिया को बहुत पहले से जुड़ जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि शिक्षा मानवीय गुणों को बढ़ाती है और विशेष तौर पर एक बच्ची को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों के उत्साह को देखकर लगता है कि यह कारवाँ रुकेगा नहीं- बढ़ता रहेगा-बढ़ता रहेगा। ❑

4225 क्विंटल 'आधार बीज' 80 हजार किसानों को

राज्य में खरीफ धान बीज के उत्पादन में वृद्धि हेतु 'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना' के तहत राज्य के 80 हजार किसानों को धान का 'आधार बीज' उपलब्ध कराया गया है। बिहार राज्य बीज निगम ने 4225 क्वि० बीज सुलभ कराया है, जिसे करीब 12 हजार हे० भूमि में लगाया जाएगा। 'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सहजता के साथ अधिक उपज देने वाले उन्नत प्रभेदों को सुलभ कराना है ताकि अल्प समय में ही राज्य का हर किसान अपने खेत में उन्नत बीजों की रोपाई कर सके। इधर, राज्य के 215 कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन प्रारंभ किया गया है। दरअसल, सरकार की योजना राज्य में 'हरित क्रांति' लाने की है। यह उसी योजना की एक इकाई है। ❑

नरेगा से जल प्रबंधन योजनाओं पर 870 करोड़ व्यय की योजना

जल संसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने उप विकास आयुक्तों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग ने बाढ़ प्रबंधन के तहत तटबंधों की मरम्मती, रिंग बांध, छड़की, जमींदारी बांधों की मरम्मती में मिट्टी कार्य कराये जाने हेतु योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर संबंधित जिला के जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों से योजनाएं अनुमोदित कराकर कार्य कराने हेतु निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत लगभग 290.00 करोड़ रुपये की राशि से मिट्टी कार्य तथा जल प्रबंधन क्षेत्र की योजनाओं सहित नहरों की तल से गाद की सफाई, नहरों के बैंक किनारे की मरम्मती एवं नहरों पर स्थापित सेवा पथों की मरम्मती में मिट्टी कार्य कराने की योजनाओं के कार्यान्वयन पर लगभग 580.00 करोड़ रुपये खर्च करने हेतु योजना बनेगी, जिस पर नवम्बर माह से कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में यह सहमति बनी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल प्रबंधन एवं बाढ़ प्रबंधन, पशुधन विकास एवं मत्स्य पालन योजना के कार्यों को व्यापक पैमाने पर कार्यान्वित किया जाए, जिससे योजना निर्माण कार्य के साथ-साथ रोजगार सृजन बढ़े और इस मद की राशि का सदुपयोग सहित व्यय भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की योजनाओं का कार्य संभव हो सकेगा जिससे राज्य को काफी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, उप विकास आयुक्त (डी०डी०सी०) एवं जिलाधिकारी के लगातार सम्पर्क में रहेंगे एवं आपसी समन्वय से योजना का कार्यान्वयन कराएंगे। योजना कार्यों की मोनिटरिंग डी०डी०सी० के स्तर पर की जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक माह डी०एम० एवं डी०डी०सी० के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे और नरेगा के तहत हो रहे कार्यों के संबंध में जानकारी लेंगे।

जल संसाधन विभाग के सचिव अजय नायक ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन के समय स्थायी संरचनाओं, स्लूईस गेट एवं पुल, पुलिया का निर्माण जल संसाधन विभाग अपनी निधि से करायेगा। बाढ़ प्रबंधन कार्य से जुड़े योजनाओं यथा: तटबंधों की मरम्मती, रिंग बांध, छड़की एवं जमींदारी बांधों की मरम्मती 15 जून से पूर्व कराये जाने से संबंधित योजनाओं की सूची के साथ संबंधित क्षेत्रों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के दूरभाष नं० सभी जिलों के जिलाधिकारियों तथा उप विकास आयुक्तों को काफी पहले भेज दिये गये हैं। उन्होंने उपस्थित सभी डी०डी०सी० से अनुरोध किया कि शीघ्र इस दिशा में कार्रवाई की जाय ताकि बरसात के पूर्व योजना निर्माण कार्य पूरा किया जा सके।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अनूप मुखर्जी, पशुधन विकास एवं मत्स्य पालन विभाग के सचिव भानू प्रताप शर्मा, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख देवी रजक, जल संसाधन विभाग के परामर्शी ब्रजभूषण प्रसाद सिंह मौजूद थे। ❑

पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण बिहार की दास्तान

डॉ० प्रकाश लुईस

भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन और सुशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। महात्मा गाँधी ने कहा था, "जितनी ज्यादा पंचायत सशक्त होगी उतना लाभ लोगों को मिलेगा"। इस तरह पंचायत एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में उभरा है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण था, वह सार्वजनिक था और किसी के प्रभाव में आए बिना काम करता था। आज भी करता है। वास्तविकता तो यह है कि पंचायती राज व्यवस्था धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि से प्रभावित था और आज भी है। लेकिन किस प्रकार पंचायतों को इन कुप्रभावों से मुक्त किया जाये और इन्हें किस तरह सशक्त किया जाये, जिससे वे सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी के लिए एक सुसंगठित शासन व्यवस्था के रूप में उभरकर आये, यह सवाल अब पहले से ज्यादा मुखरित होने लगा है।

आजादी के बाद देश के करीब सात लाख गाँवों को ग्रामीण विकास से राष्ट्रीय निर्माण के साथ जोड़ने का सपना देखा गया था। संविधान निर्माताओं ने पंचायत की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखकर राज्य को इस दिशा में काम करने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन यह निर्देश मात्र एक कागजी कार्रवाई बन कर रह गया। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आयोग गठित किया गया, बहसें हुईं, गोष्ठियाँ आयोजित की गईं और आज भी की जा रही हैं। मगर ये सारी कोशिशें अपेक्षित परिणाम उपलब्ध नहीं करा पायीं।

बिहार में पंचायती राज

बिहार के संदर्भ में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का पुन: निर्माण हुआ है। याद रहे, 1978 के बाद से 2001 तक, 22 साल की अवधि के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराई गई थी। विडम्बना तो यह है कि प्रदेश में हर 5 साल बाद विधान सभा चुनाव नियमित रूप से कराया गया और कराया जाता है, जबकि पंचायत चुनाव को यहाँ के राजनीतिज्ञों ने 22 साल तक दर किनार कर रखा। दिलचस्प बात यह है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 पारित की गई और बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1995 भी मगर पंचायत चुनाव को यहाँ के शासक वर्ग ने हाशिए पर ढकेल दिया था। आखिरकार न्यायपालिका के निर्देशानुसार बिहार सरकार को पंचायत चुनाव कराना ही पड़ा।

ऐसी पृष्ठभूमि में 73वें संविधान

संशोधन अधिनियम, 1992 ने आशा की किरणें जगाने का काम किया है। तिहतरवें संशोधन का मुख्य उद्देश्य था पंचायत को ऐसे कार्यों एवं शक्तियाँ से सम्पन्न करना ताकि वह वाकई में सरकारी स्थानीय स्वशासी के रूप में कार्यरत रहे। तिहतरवें संशोधन के अनुसरण में अधिनियमित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993, 23 अगस्त, 1993 को अधिसूचित हुआ। पुन: बिहार पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1995, 21 जुलाई, 1995 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ। बिहार सरकार के पंचायत राज निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अक्टूबर, 2001 को प्रकाशित 'त्रिस्तरीय पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य: एक संकलन' में इसे पुन: दुहराया गया है।

बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006

वर्तमान सरकार के द्वारा जारी बिहार पंचायती राज अध्यादेश, 2006 में जो प्रावधान रखे गए हैं, उनमें ऊपर दिए गए बिन्दुओं का भी निपटारा हुआ है।

1. अनुसूचित जातियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण का आवंटन किया जाएगा। मान लिया जाए, बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 16% है, तो उन्हें 16% स्थान पंचायती राज व्यवस्था में दिया जायेगा।
2. अनुसूचित जन जातियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण आवंटन किया जाएगा। मान लिया जाए, बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 1% है, तो उन्हें 1% स्थान पंचायती राज व्यवस्था में दिया जायेगा।

आरक्षण के लिहाज से तीन और नये महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाये हैं।

(क) अति पिछड़ी जाति के लिए 20% स्थान आरक्षित किया गया है।

(ख) इन कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50% अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान के अलावा जो स्थान शेष है, उसमें से 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

तालिका 1:
महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण (2006)

समूह	आरक्षित स्थान	आरक्षित स्थान महिला
अनुसूचित जाति	16%	8%
अनुसूचित जनजाति	1%	½%
पिछड़े वर्ग	20%	10%
कुल आरक्षित स्थान	37%	18½%
अनारक्षित स्थान	63%	31½%

इस तरह अगर 37% स्थान आरक्षित है तो अनारक्षित स्थान 63% है। इनमें सभी समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान 50% है। यह निर्णय अपने आप में क्रांतिकारी है। मगर महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करना मात्र एक शुरुआत है। उन्हें सशक्तीकरण की दिशा में अग्रसर होने का मौका एवं स्थान उपलब्ध कराना दूसरी बात है।

महिलाओं के लिए आरक्षण संभावनाएँ

पूर्व में महिलाओं को 'वोट बैंक' के दृष्टिकोण से देखा जाता था। लेकिन अब चुनाव में हिस्सा लेना, प्रत्याशी बनना आदि महिलाओं की मानसिकता में परिवर्तन के साथ-साथ, सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी तय करते हैं। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में 1960 तक पंचायतों में प्राय: स्थानीय सवर्ण जाति के जमींदार या भूपति और दबंग व्यक्ति ही निर्वाचित होकर आते थे। कई पंचायतों में वे निर्विरोध चुनकर आते थे। धीरे-धीरे यह परम्परा टूटने लगी, जब अन्य लोग भी चुनाव में शामिल होने लगे। लेकिन अब आरक्षण की वजह से महिलाएँ, जो मतदान करती थीं या मतदान करने के लिए बाध्य की जाती थीं, अब चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से लेकर चुनाव में निर्वाचित होने तक का सफर पूरा कर रही हैं।

चुनाव में शरीक होना मात्र एक शुरुआत है। पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर पदभार संभालने के बाद कई महिलाएँ अब अपने अधिकार और कर्तव्य की पहचान कर रही हैं। जहाँ उन्हें काम करने का उचित वातावरण मिल रहा है, वहाँ वे निर्णय करती हैं कि स्वशासन का स्थान एवं भूमिका क्या होनी चाहिए। इस दिशा में वे कई कारगर कदम भी उठा रही हैं। इनमें से कई महिलाएँ अपने पद के मुताबिक उठाए गए निर्णय का सही पालन हुआ या नहीं, इसका निरीक्षण भी कर रही हैं। हाल में आए इस परिवर्तन से उन्हें अब यह लगने लगा कि यही सही जनता की सरकार है। न केवल निर्वाचित महिला, पर अन्य महिलाएँ भी अब यह समझने लगी हैं कि 'सरकार अब हमारे द्वार पर।' पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण इस संभावना को उजागर कर दिया है कि अगर महिलाएँ आधी आबादी हैं तो स्वशासन में आधी भागीदारी अनिवार्य है।

तालिका 2: स्वशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व			
क्षेत्र	कुल पद	महिलाओं के लिए आरक्षित पद	प्रतिशत (%)
वार्ड सदस्य	1,08,970	59,933	55.0
मुखिया	8,427	4,219	50.1
पंचायत समिति	17,508	5,671	49.2
जिला परिषद	1,157	577	49.9
कुल	1,36,06	270,400	51.2
स्रोत: राज्य चुनाव आयोग, 20/10/06			

तालिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार की पंचायती राज व्यवस्था के तहत करीब 1,36,062 पद हैं। इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद 70,400। यानी 51.2% महिलाएँ इस बार के पंचायत चुनाव में लोक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आयी हैं। इसका अर्थ है कि इतनी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधि बनना स्वशासन में एक नये युग के सूत्रपात का संकेत है।

महिलाओं को मिले आरक्षण से यह उम्मीद जगी है कि अधिकतर निर्वाचित महिलाएँ गरीबी, भुखमरी, गैर-बराबरी, बेरोजगारी और बेगारी के प्रति सचेत हो गयी हैं और उनमें संवेदना है। इसलिए विकास के कार्यों में गुणात्मक बदलाव आने की संभावना है। इसके अलावा वे नशाखोरी और घरेलू हिंसा को भी अपनी चर्चा का विषय बना सकती हैं। अनुकूल वातावरण में वे इस दिशा में कारगर कदम भी उठा सकती हैं। इससे भी बढ़कर जीवन की बुनियादी आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान में इनकी भूमिका अहम होगी।

समस्याएँ

यह सच्चाई किसी से भी छिपी नहीं है कि पूर्व की तरह इस बार भी कई बहु-बेटी निर्वाचित होकर आई हैं। उन्होंने चुनाव तो जीत लिया मगर अपने पारिवारिक माहौल से बाहर आने में सक्षम नहीं है। चूँकि उनमें से अधिकतर दबंग परिवार से आती हैं। उन्हें घर से निकलना तो दूर, पंचायत के कामों में लगे रहना भी उनके लिए संभव नहीं है। मगर अब धीरे-धीरे ये महिलाएँ अपने परिवार वालों पर दबाव डाल सकती हैं, इससे परिवर्तन आने की गुंजाइश है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिये जाने के बावजूद भी उनकी भूमिका नगण्य रहने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला ढांचागत गतिरोध या बाधाएँ और दूसरा मानसिकता। ढांचागत बाधाओं से हमारा तात्पर्य जातिवाद-सामंतवाद-पुरुष प्रधानता से है। सवर्ण जाति के दबंग लोग अभिर्वंचित वर्ग की महिलाओं को आरक्षित पदों पर काम करने से रोकते हैं। कभी-कभी इनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ दूसरी श्रेणी के नागरिक के रूप में ही रखी जाती हैं। ये ढांचागत बाधाएँ हैं।

इस प्रकार की सामाजिक संरचना से पनपी मानसिकता भी गैर-बराबरी की दृष्टि से व्यवहार करता है। 'महिला क्या कर सकती है?' दरअसल पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से उसके केन्द्र में पुरुष हैं। उसी की प्रधानता है। पुरुष धूरी को मानकर अभी भी समाज संचालित होता है। सो, इस मानसिकता से उबरना अनिवार्य है।

एक और समस्या है वह है उचित प्रशिक्षण का अभाव। चूँकि इन महिलाओं को अवसर नहीं मिला, इसलिए वे पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखती हैं। अगर उन्हें कम से कम पंचायती राज में अपने कर्तव्य एवं अधिकार की जानकारी मिलेगी तो वे इस जानकारी को उपयोग में ला सकेंगी।

अंत में, यह कहना उचित है कि पंचायतों में आरक्षण के फलस्वरूप जो महिलाएँ चुनकर आयी हैं वे इस सत्य को उजागर कर रही हैं कि महिलाएँ निष्क्रिय एवं निस्सहाय नहीं हैं। आरक्षित सीटों के अलावा अन्य सीटों पर चुना जाना इसका संकेत है। चुनाव परिणाम ने यह साबित किया है कि सवर्ण जाति की महिलाएँ ही नहीं, वरन् अभिर्वंचित वर्ग की महिलाएँ भी अब पंचायत में प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। साथ ही, पंचायत के प्रतिनिधि बनने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। दरअसल, पंचायतों में महिलाओं को दिया गया 50% आरक्षण दूरगामी साबित होगा और उसकी धमक विधानसभा और संसद में सुनाई देगी। ❑

(बिहार सोशल इंस्टीट्यूट
दीघा घाट, पटना-800 011)

जिले की चिट्ठी

बक्सर : एन०एच०-84 "बक्सर गोलम्बर से डुमराँव- जासो-नदाँप-कुल्हरिया- सुराँधा पथ" के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं उन्नयन कार्य को सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन पर 650.00 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

अररिया : ग्रामीण कार्य विभाग अररिया में इंडोर स्टेडियम का निर्माण 38.896 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि से पूरा कराने वाला है।

जहानाबाद : विधायक की अनुशंसा पर जहानाबाद नगर परिषद् अपने क्षेत्राधीन सभी 33 वार्डों में दो-दो की संख्या में, कुल 66 स्थानों पर तथा विधान पार्षद की अनुशंसा पर एक-एक, कुल 67 स्थानों पर चापाकल नव निर्माण की योजना कार्यान्वित कर रही है।

दरभंगा : ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेनीपुर(दरभंगा) के अधीन पुल एवं पुलिया निर्माण की 11 योजनाओं पर लगभग 235.00 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

राज्य के सभी 38 जिलों में किशोर न्याय परिषदों का गठन पूरा

पटना : राज्य में 'किशोर न्याय कार्यक्रम' के अन्तर्गत, 18 वर्ष से कम उम्र के कानून का उल्लंघन करनेवाले बालक-बालिकाओं को, सरल एवं त्वरित न्याय-प्रक्रिया उपलब्ध करायी जा रही है। " किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2000" के अन्तर्गत, सभी 38 जिलों में कशोर के आवासन हेतु 10 जिलों में पर्यवेक्षण -गृह की स्थापना की गई है।

कानून का उल्लंघन करनेवाले किशोरों के मामलों का संवेदनशील तरीके से निबटारा हेतु 33 जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन भी कर दिया गया है।

'बिहार राज्य पुल निर्माण निगम' पटना के तीन पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करा रहा है।

कंकड़बाग मुख्य पथ में, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (4.64 कि०मी०में) कार्य पर 8.00 लाख रु०, बोरिंग रोड(स्टुअर्ड रोड) में 4.70 कि०मी० में चौड़ीकरण -मजबूतीकरण पर 5.50 लाख रु० तथा बोरिंग केनाल रोड में 4.00 कि०मी० लम्बाई में चौड़ीकरण -मजबूतीकरण के कार्य पर 1.20 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

भमुआ : कैमूर जिलान्तर्गत टाऊन हाई स्कूल भभुआ में पुनर्स्थापन -कार्य चारदीवारी -निर्माण एवं जिला सांख्यिकी भवन के निर्माण पर क्रमश: 46.00 लाख एवं 18.00 लाख रु0 की राशि खर्च की जा रही है।

खगड़िया : नलकूप प्रमंडल खगड़िया ने 'मुख्यमंत्री जिला विकास योजना' के अन्तर्गत नलकूप स्थल रौन, छिलकौड़ी, कोढ़िया, देवका, मदारपुर, बिथला एवं कन्हैयाचक में नाला मरम्मती का कार्य कराये जाने का निर्णय लिया है।

उपर्युक्त योजना पर 35 लाख 50 हजार रुपये की राशि व्यय की जायेगी।

भागलपुर : सिंचाई प्रमंडल भागलपुर के अधीन 'मुख्यमंत्री जिला विकास योजना' के तहत कतरिया एवं राजडाड़ नाला की तल-सफाई एवं गाईड -वॉल का निर्माण कार्य 31.48 लाख रु० की लागत से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

बेगूसराय : ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बेगूसराय ने, 'मुख्यमंत्री जिला विकास योजना' एवं 'मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना' के अधीन दो-दो योजनाओं को क्रमश: 56.12 लाख रुपये एवं 20.93 लाख रुपये की लागत से पूरा कराये जाने का निर्णय लिया है।

पुनपुन : जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनपुन दायां तटबंध में विभिन्न दूरियों में बाढ़ निरोधक गेटों उत्तोलन प्रणाली के निर्माण, विशेष मरम्मती तथा अधिष्ठापन कार्य पर 1 करोड़ 9 लाख 21 हजार रुपये से भी अधिक की राशि खर्च की जा रही है। ❑

पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर

भवन निर्माण विभाग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति छात्रावासों के निर्माण कार्य को प्राथमिकतापूर्वक पूरा करा रहा है। विभाग द्वारा 114.965 लाख रु० प्रति छात्रावास की लागत से किशनगंज, भभुआ, मुंगेर, सुपौल, सीवान, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बेगूसराय, मधेपुरा, आरा, बाँका, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा में पिछड़ी जाति छात्रावास तथा 2.29 करोड़ रुपये प्रति छात्रावास की लागत से भेकराहाँ (मधेपुरा) तथा कहलगाँव में अनुसूचित जाति छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है। ❑

मंत्रिमंडल के निर्णय

प्रोत्साहन भत्ता योजना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक (प्रवेशिका) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत 10 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने हेतु योजना की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

पद-सृजन हेतु स्वीकृति: नालंदा जिलान्तर्गत "नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान" कल्याण बिगहा में स्थापित करने तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2008- 09 में 42 लाख रुपये के व्यय पर पद सृजन की स्वीकृति मिली।

उपमुख्यमंत्री कोषांग हेतु पद सृजित: उप मुख्यमंत्री कोषांग बिहार के कार्यालय हेतु उप सचिव- विशेष कार्य पदाधिकारी के एक एवं जन शिकायत कोषांग हेतु सहायक , कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अनुसेवक के पद सृजन विषयक को राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मिली ।

मत्स्य-विकास एवं जीर्णोद्धार योजना: वर्तमान वर्ष को 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाये जाने के मद्देनजर, 'मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना' के तहत निजी क्षेत्र में उन्नत मत्स्य बीज उपलब्ध कराने के लिए 33 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को कुल 154 लाख रुपये व्यय अनुदान स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस राशि की निकासी राज्य आकस्मिता निधि से की जायेगी।

शहरी अभियंत्रण कोषांग हेतु पद सृजित: नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन 'मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना' के सफल कार्यान्वयन एवं नगर निकायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु शहरी अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जायेगा, जिसके लिए पदों के सृजन तथा योजना मद में प्रतिवर्ष उस पर होने वाले अनुमानित व्यय 835.00 लाख रु० एवं अन्य विविध मदों में होने वाले व्यय, बिहार शहरी विकास अभिकरण को अनुमान्य सेवा शुल्क की राशि से प्राप्त करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से मिली।

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम: 'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार क्रार्यक्रम' 'कृषि रोड मैप' की एक घटक योजना है। इस पर वर्ष 2008-09 से 2011- 12 तक कुल 3491.471 लाख रुपये की लागत से योजना के कार्यान्वयन एवं वर्ष 08-09 में 856.705 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। ❑

अन्य महत्वपूर्ण फैसले :

- मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना को प्रारंभ करने तथा इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2008- 09 में 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- केन्द्र प्रायोजित समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजनान्तर्गत 10,000 रुपये की कुल लागत से शौचालय बनाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस योजना में 75 प्रतिशत केन्द्रांश, 25 प्रतिशत राज्यांश तथा 10 प्रतिशत श्रम अंशदान के रूप में लाभान्वितों का योगदान होगा।
- बिहार पुलिस सेवा के 9 पदाधिकारियों को स्टाफ ऑफिसर (वेतनमान 14300-18300) के पद पर प्रोन्नति विषयक को मंजूरी।
- पथ निर्माण विभाग के वर्तमान अभियंता संवर्ग को, पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभागों के बीच विभक्त कर विभागवार संवर्ग गठन हेतु समिति बनाने विषयक प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
- बी० पी० एल० परिवार के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों में आऊट सोर्सिंग सहित सभी प्रकार की सुविधाएँ मुफ्त दी जाएंगी।
- जमींदारी बाँधों के जीर्णोद्धार हेतु पहले स्वीकृत राशि 316 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 433.51 करोड़ रुपये करने विषयक जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति।
- बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली -2008 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार हेतु राजपत्रित /अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद-सृजन को स्वीकृति दी गई ।
- भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को बिहार पुलिस में गठित 'स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस' में 11500 सैप, 100 जूनियर कमिशंड ऑफिसर एवं 400 रसोईया को चालू वित्तीय वर्ष 2008 - 09 के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा।
- पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा विकलांग भवन अस्पताल पटना में रोगी कल्याण समिति तथा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय में सुपर- स्पेशलिटी विभाग के रूप में न्यूरोसर्जरी एवं न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना हेतु शैक्षणिक पदों का सृजन किया जायेगा।
- "बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992" के विभिन्न नियमों के अधीन पूर्व निर्धारित शुल्क संरचना में संशोधन किया गया, जिसके तहत लर्निंग लाइसेन्स का शुल्क अब 40 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा। ❑

तिथिवार बिहार

21 अप्रैल से 20 मई

24 अप्रैल : टेलीकॉम कंपनियों को प्रतिवर्ष पथ निर्माण विभाग को करोड़ों की राशि का भुगतान करना होगा एवं 'लैंड यूज टैक्स' के तहत प्रतिवर्ष एक किमी केबल के लिए पाँच हजार रुपये की दर से वसूली की जाएगी।

- बिहार के देवप्रिय जायसवाल को ऐशियन अंडर-14 टेनिस चैंपियनशिप में दोहरे खिताब से नवाजा गया।

29 अप्रैल : भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक जून से लोगों को जिलेवार मौसम की जानकारी दी जाएगी।

30 अप्रैल : सरकार ने आठ वरीय आई ए एस अधिकारियों का तबादला किया।

1 मई : मई दिवस पर भागलपुर विवि के 454 कर्मियों की नौकरी पक्की की गई एवं पाँच वर्षों से वेतन के लिए तरस रहे कर्मियों के लिए बजट में प्रावधान करने का निर्देश दिया गया।

4 मई : नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में शीघ्र ही पारा मेडिकल क्षेत्रीय संस्थान बनने की घोषणा।

8 मई : विधान परिषद् के 17 नए सदस्यों ने शपथ ली। इनमें से नौ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले नए सदस्यों में कामेश्वर चौपाल, गिरिराज सिंह, ज्योति, मो० तनवीर हसन, बादशाह प्रसाद आजाद, हारूण रसीद, रामधनी सिंह, सतीश कुमार एवं हीरा प्रसाद बिंद शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों में विनोद कुमार चौधरी, नीरज कुमार, देवेश चंद्र ठाकुर तथा वीरकेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बासुदेव सिंह, नवल किशोर यादव, नरेन्द्र प्रसाद सिंह और केदार पांडेय शामिल हैं।

9 मई : विधान परिषद् के सभापति प्रो० अरूण कुमार ने विधान परिषद् के 13 सदस्यों का मनोनयन विधान सभा की वित्तीय समितियों में किया है। इनके अलावा 16 निर्वाचित व पुनर्निर्वाचित सदस्य समितियों के अध्यक्ष, संयोजक व सदस्य मनोनीत हुए हैं।

- विधान सभा की लोक लेखा समिति में डा० शंभू शरण श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, रामचंद्र प्रसाद, संजय सिंह, रामवदन राय, समीर कुमार महासेठ और रामकिशोर सिंह तथा प्राक्कलन समिति में लाल दास राय, असलम आजाद, डा० भीम सिंह, बालेश्वर सिंह भारती, रामधनी सिंह एवं विनोद चौधरी सदस्य मनोनीत हुए हैं।
- विधान परिषद् की समिति में नरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रो० नवल किशोर यादव, वासुदेव सिंह, कामेश्वर चौपाल, केदारनाथ पाण्डेय, वीरकेश्वर प्रसाद सिंह, जिला पार्षद व पंचायत राज समिति के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं।

देवेश चन्द्र ठाकुर को नियमावली समिति का संयोजक मनोनीत किया गया है। समितियों में रामधनी सिंह, हीरा प्रसाद बिंद, नीरज कुमार एवं सतीश कुमार निवेदन समिति, डा० तनवीर हसन याचिका समिति, विनोद कुमार चौधरी आश्वासन समिति, हारुण रसीद अल्पसंख्यक कल्याण व बादशाह प्रसाद आजाद याचिका समिति के सदस्य मनोनीत हुए हैं।

15 मई : चुनाव आयोग ने डी.एम., एस.डी. ओ., भूमि सुधार उप समाहर्ता, बी.डी.ओ. जैसे मतदाता सूची निर्माण से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है।

- मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। यह नई व्यवस्था चालू सत्र से ही लागू कर दी जाऐगी। यह तोहफा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सूबे के 13 लाख से अधिक परक्षार्थियों को दिया।
- चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिये नये भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत उक्त संस्थान के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की लागत से मीठापुर बस स्टैंड के पीछे कृषि फॉर्म के समीप 18 एकड़ भूखंड में नया भवन बन रहा है।

16 मई : राज्य-सह-कुलाधिपति के विशेष कार्य पदाधिकारी डा० आर०कृष्ण कुमार के भेजे प्रस्ताव के आलोक में पटना वि.वि. में महान खगोलविद् आर्यभट्ट के नाम पर साइंस सेंटर खोलने की मंजूरी।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सभी सदर तथा अनुमंडलीय अस्पताओं में डेंटल क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे।

19 मई : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम 2008' का शुभारंभ किया। छह हजार एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये वाली इस योजना के तहत इन्द्रधनुषी क्रांति का विकास होगा। इससे कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन व मुर्गा पालन व सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा।

20 मई : बिहार के मंदिरों में दलित को पुजारी बनाने वाले पूर्व आई पी एस अधिकारी एवं धार्मिक न्यास परिषद् के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल को महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया। किशोर कुणाल ने पटना के हनुमान मंदिर सहित बिहार के 12 मंदिरों में दलित पुजारी को नियुक्त किया। ❑